सरकार बनाम बलराम

नि.आ.प्र.सं.- 167/2010

सीआईएस संख्या-1563/2014

सीएनआर नंबर-RJKT140000812010

निर्णय दिनांक -27.04.2026

न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी - शुभ्रा शर्मा, आर.जे.एस.

प्रकरण संख्या - 167/2010

सीआइएस नं. - 1563/2014

सीएनआर नंबर - RJKT140000812010

एफआईआर नं. - 50/2008 थाना सांगोद कोटा

राजस्थान राज्य जरिए एपीओ

.....अभियोगी

ब ना म

बलराम पुत्र देवकरण, निवासी औंकारपुरा, थाना सदर बूंदी जिला बून्दी (राज0)

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा0दं0सं0

उपस्थितः-

01- श्री दिनेश कुमार गौतम, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

02- अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।

- निर्णय - दिनांक 27.04.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मेघराज ने एक परिवाद जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा को इस आशय का पेश किया कि "मेरे पिता नाथूलाल के नाम से एक ट्रेक्टर नं० आर० जे० 20 आर 7596 पावरट्रेक रजिस्टर्ड था जिसे कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि० शाखा सांगोद जिला कोटा से लोन द्वारा सन् 2000 में क्रय किया गया था। उक्त ट्रेक्टर के पेटे मेरे द्वारा राशि जमा कराने के बाद सन

"Authenticated Document"

2005 में रुपये 2,80,000/- बकाया राशि रही थी। इसी बीच प्रार्थी ने दूसरे ट्रेक्टर होलेण्ड 3230 खरीदने की इच्छा जाहिर की इसलिए होलेण्ड टेक्टर की एजेन्सी के एजेन्ट श्री बलराम यादव निवासी सांगोद हाल मुकाम ग्राम औंकारपुरा जिला बूंदी के द्वारा बैंक में ऋण भुगतान बाबत आपसी वार्ता हुई थी। बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा उक ऋण के एवज में 2,50,000/- भुगतान किये जाने पर रजामंदी हुई थी। इस पर होलेण्ड ट्रेक्टर के एजेन्ट बलराम यादव ने मेरे पुराने ट्रेक्टर की कीमत 1,75,000/- तय की तथा 75,000/- रुपये मेरे द्वारा नगद राशि देना तय हुआ। प्रार्थी ने ट्रेक्टर एजेन्ट बलराम यादव को ट्रेक्टर सौंप दिया, साथ ही 75,000/- रुपये की राशि भी दे दी। इस पर बैंक द्वारा नोड्यूज जारी हुआ तथा प्रार्थी की आराजी भूमि खेरोली गांव के खाते में दर्ज रहननामा नोट भी तहसीलदार सांगोद के आदेश से पटवारी द्वारा हटा दिया गया तथा उक्त आराजी को ऋण भार से मुक्त करते हुए इसी आराजी पर नया ट्रैक्टर होलेण्ड 3230 दिया जाना तय तय हुआ तथा हौलेंड ट्रेक्टर की राशि किसी बैंक से अनुबंधित करने का आश्वासन बलराम यादव ने मुझे दिया, जमीन के कागजात बलराम यादव को दे दिये थे। उसके उपरान्त बलराम यादव ने मुझे होलेण्ड ट्रेक्टर उसके सांगोद स्थित ऑफिस कार्यालय से मेरे सुपुर्द फरवरी 2006 में कर दिया तथा नये ट्रेक्टर के लोन सबंधी कई खाली कागजातों पर मेरे व मेरे भाई रघुवीर के भी हस्ताक्षर करवाये थे, तभी से उक्त ट्रेक्टर मेरे कब्जे में चला आ रहा है। बलराम यादव द्वारा दिये गये नये होलेण्ड ट्रेक्टर के कागजात हेतु मैं बार-बार उससे सम्पर्क करता रहा किन्तु मुझे कुछ समय बाद कागजात देने की कहकर वापिस कर दिया जाता था तथा मुझे यह भी नहीं बताया जाता कि नया ट्रेक्टर किस बैंक से कितनी राशि पर अनुबंधित किया गया है। इस संबंध में उक्त ट्रेक्टर की एजेन्सी कोटडी गुमानपुरा रोड स्थित मुख्य कार्यालय पर भी मेरे गांव के सरपंच श्री रामेश्वर मीणा के साथ भी आया था। ट्रेक्टर के अनुबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी

"Authenticated Document"

चाही तथा ट्रेक्टर के कागजात भी देने के लिए कहा इस पर कम्पनी मालिक श्री धीरेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा कहा गया कि आपके पास ट्रेक्टर है फिर आपको किस बात की चिंता है, ट्रेक्टर को अनुबंध कराना हमारा काम है हम करा लेगे तथा कुछ दिन बाद आपको ट्रेक्टर के कागजात भी मिल जायेंगे। मैं कम पढ़ा लिखा होने की वजह से श्री धीरेन्द्र खण्डेलवाल एवं बलराम यादव की बात पर भरोसा करते हुये अपना काम करता रहा। किन्तु हाल ही में दिनांक 21 मार्च 2007 को लगभग 12 बजे जब मैं गांव से सरसों भरकर भामाशाह मण्डी कोटा में बेचने के लिए आया हुआ था। ट्रेक्टर को भामाशाह मण्डी के गेट पर बाहर अरावली ट्रेक्टर रिपेयरिंग के मिस्त्री मुख्तार अहमद एवं शाकिर भाई के यहां खडा करके उसकी मरम्मत करवा रहा था। उसी समय एक जीप भरकर तथा एक ट्रेक्टर लेकर 5-7 आदमी वहां पहुंचे तथा वहां मौजूद मेरे ड्राईवर महावीर मेघवाल को बुलाकर डराया धमकाया मैं उस समय मण्डी में था। मेरे ड्राईवर के साथ उन लोगों ने बदसलूकी की तथा मेरे ट्रेक्टर को जीप के साथ लाये ट्रेक्टर से टोचन कर लिया तथा मेरे ड्राईवर को जबरदस्ती जीप में बिठा लिया तथा ट्रेक्टर सहित रोड नं० 2 इन्दप्रस्थ एरिया कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर ले आये। सर्विस सेन्टर पर मेरे ड्राईवर से डरा धमका कर खाली कागजात पर उसके हस्ताक्षर भी करवाये, इसी बीच ट्रेक्टर के मिस्त्री ने मुझे फोन द्वारा ट्रेक्टर व ड्राईवर को जबरदस्ती ले जाने की सूचना दी। मैंने ट्रेक्टर व ड्राईवर की काफी देर तक तलाश की, इसी बीच मेरा ड्राईवर उन लोगों के चंगुल से निकलकर मिस्त्री के यहां पर आ गया। जब मुझे पता चला कि कम्पनी के लोग ट्रेक्टर को उठा कर ले गये है, इसके बाद भामाशाह मण्डी के मेरे आडतिया श्री चौथमल जी विजयवर्गीय सहित मैं कम्पनी के कोटडी स्थित ऑफिस में पहुंचा और ट्रेक्टर लाने के बारे में जानकारी लेने लगे तो धीरेन्द्र खण्डेलवाल ने कहा की ट्रेक्टर तो हमारा है। तुम्हारा इससे क्या है, कोई कागजात हो तो बताओ, इस पर मैने कहा कि कागजात तो आपके पास ही है। आपने

"Authenticated Document"

मुझे अभी तक दिये ही नहीं है।इस पर धीरेन्द्र खण्डेलवाल ने कहा कि इस ट्रेक्टर पर कहीं भी लोन नहीं हुआ है। इस लिए इसे हम वापस ले रहे हैं। हमने जब उनसे कहा कि हमारा पुराना ट्रेक्टर और 75,000/- रुपये जो नगद दिये थे, वो वापिस करो इस पर श्री धीरेन्द्र ने कहा कि तुम्हारा ट्रेक्टर व रूपये हमारे एजेन्ट बलराम यादव ने लिये है। यही जाने ट्रेक्टर कहां है, हमारे पास कोई पुराना ट्रेक्टर नहीं आया और ना ही रुपये आये है। इस सन्दर्भ में हम एजेन्ट बलराम यादव के गांव औंकारपुरा जिला बून्दी गये तथा ट्रेक्टर के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि आपका पुराना ट्रेक्टर तथा आपके द्वारा दी गई राशि 75,000/- रुपये कम्पनी वालों को दे दी गई है और कम्पनी ने ही आपका ट्रेक्टर बेच दिया है। कम्पनी ने ट्रेक्टर की रकम व नगद राशि मिलाकर बैंक खाते में लोन के पैसे जमा करा दी होगी, इसके बाद में बैंक कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि० सांगोद पर जाकर मेरे लोन के बारे में जानकारी चाही तो पता लगा कि इन लोगों ने बैंक में भी कोई राशि जमा नहीं करवाई है तथा तहसील कार्यालय सांगोद से मेरे खाते की आराजी पर पुनः अनुबंधित को नोट दर्ज करवा दिया है जबकि पूर्व में बैंक से नोड्यूज जारी होने पर ही उक्त आराजी को ऋण भार से मुक्त होने का इन्द्राज दर्ज हो चुका था जिससे ऐसा लगता है कि उक्त सभी लोगों ने मिलीभगत कर षडयंत्रपूर्वक मेरे साथ धोखाधड़ी की है तथा मेरे ट्रेक्टर को हडप करने की साजिश की गई है जबकि पुराना ट्रेक्टर का रजि० आज भी मेरे पिता स्व० नाथूलाल जी के नाम दर्ज है तथा रजि० पर बैंक का हाईपोथिनिकेशन दर्ज है फिर भी ट्रेक्टर को फर्जी तरीके से किसी अन्य को बेच दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर प्रार्थी के पुराने ट्रेक्टर को बरामद करवाकर व राशि 75,000/- दिलवाई जाने की कृपा करें....इत्यादि।"

उक्त परिवाद को धारा 154(3) दं0प्र0सं0 के तहत अनुसंधान हेतु

"Authenticated Document"

पुलिसथाना विज्ञान नगर को प्रेषित किया जिस पर पुलिस थाना विज्ञान नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109/2007 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.द.सं. में दर्ज की गई एवं प्रकरण में अदम वकू इलाका गैर में एफ आर संख्या 21/2008 पेश की गई। जिस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण के पत्र दिनांकित 14 मार्च 2008 से सम्पूर्ण घटनाक्रम थाना सांगोद का होने से मूल पत्रावली अग्रिम अनुसंधान व कायमी मुकदमा हेतु पुलिसथाना सांगोद को प्रेषित की गई। जिस पर पुलिसथाना सांगोद द्वारा एफआईआर संख्या 50/2008 अंतर्गत धारा 420, 406 भा0 दं0 सं0 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किए जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

अभियुक्त को धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

दौराने विचारण परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा अंतर्गत धारा 420 व 406 भा0 दं0 सं0 पेश किया जो तस्दीक किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0 डब्ल्यू01 राजकुमार, पी0 डब्ल्यू02 मेघराज, पी0 डब्ल्यू03 रघुवीर, पी0 डब्ल्यू04 नरेश, पी0 डब्ल्यू05 शाकिर उर्फ जहिर मोहम्मद, पी0 डब्ल्यू06 मुख्तार अहमद, पी0 डब्ल्यू07 धनेन्द्र खण्डेलवाल, पी0 डब्ल्यू08 सज्जन सिंह, पी0 डब्ल्यू08 बालमुकुन्द शर्मा, पी0 डब्ल्यू09 रामेश्वर, पी0 डब्ल्यू010 गणेशलाल, पी0 डब्ल्यू011 राधेश्याम, पी0 डब्ल्यू012 छोटूलाल वर्मा, पी0 डब्ल्यू013 महिपाल सिंह, पी0 डब्ल्यू014 देवीशंकर, पी0 डब्ल्यू015 राजेश कुमार, पी0 डब्ल्यू016

"Authenticated Document"

गिरिराज प्रसाद सोनी, पी0 डब्ल्यू017 श्रवणलाल, पी0 डब्ल्यू018 सियाराम, पी0 डब्ल्यू019 परमेश्वर प्रसाद, पी0 डब्ल्यू020 विशाल अवस्थी, पी0 डब्ल्यू021 हेमराज, पी0 डब्ल्यू022 रामकिशन, पी0 डब्ल्यू023 कैलाश चंद, पी0 डब्ल्यू024 संजीव स्वामी, पी0 डब्ल्यू025 बृजेश कुमार मीणा, पी0 डब्ल्यू026 लखनलाल, पी0 डब्ल्यू027 रविन्द्र त्यागी, पी0 डब्ल्यू028 लेखराज, पी0 डब्ल्यू029 महावीर को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 परिवाद, प्रदर्श पी-2 आर.सी. ट्रेक्टर, प्रदर्श पी-3 फर्द जब्ती विवादरहित पत्र, प्रदर्श पी-4 जमाबंदी नाथू, प्रदर्श पी-5 व 6 जमाबंदी मेघराज, रघुवीर, प्रदर्श पी-7 व 8 नक्शाट्रेस व गिरदावरी, जमाबंदी गांव तेहरोली खातेदारी नाथूलाल, प्रदर्श पी-10 पुलिस बयान 161 दं0 प्र0 सं0 रामेश्वर, प्रदर्श पी-11 पुलिस बयान 161 दं0 प्र0 सं0 गणेशलाल, प्रदर्श पी-12 पुलिस बयान 161 दं0 प्र0 सं0 छोटूलाल, प्रदर्श पी-13 फर्द जब्ती लेटर, प्रदर्श पी-14 फर्द जब्ती कार्यालय आदेश, प्रदर्श पी-15 फर्द जब्ती असल रिकार्ड पावरट्रेक ट्रेक्टर, प्रदर्श पी-16 फर्द गिरफ्तारी मुलजिम, प्रदर्श पी-17 फर्द जब्ती एक डायरी, प्रदर्श पी-18 फर्द जब्ती विवादरहित दस्तावेज, प्रदर्श पी-19 फर्द जब्ती पत्र, प्रदर्श पी-20 असल केश मेमो अरावली इंजीनियर्स, प्रदर्श पी-21 असल बिल, प्रदर्श पी-22 असल ऋण स्वीकृति लेटर, प्रदर्श पी-23 कंपनी से ली जाने वाली असल रसीद, प्रदर्श पी-24 अधिकार पत्र, प्रदर्श पी-25 कृषि उपयोगी वस्तुओं का बन्धकल्प, प्रदर्श पी-26 असल रहननामा, प्रदर्श पी-27 प्रमाणित प्रति रिमांड फार्म एफआईआर सं0 109/07 थाना विज्ञान नगर, प्रदर्श पी-29 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी-30 पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण का पत्र, प्रदर्श पी-31 एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं को झूंठा फंसाया जाना

"Authenticated Document"

अभिव्यक्त किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बन्द किया गया।

बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन कर सुसंगत विधि पर मनन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्व किया जावे।

जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण रंजिशवश दर्ज कराया गया है। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन अपराध प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

(i) "क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2007 को समय दिन के 12 बजे फरियादी के पिता स्व0 नाथूलाल के नाम से ट्रेक्टर पावरट्रेक रजिस्टर्ड नंबर आर जे 20 आर 7596 के बदले नया होलेण्ड ट्रेक्टर 3230 देने के लिए दस्तावेजों की कूटरचना छल करने के आशय से की व उक्त कूटरचित दस्तावेजों का कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में उपयोग किया "?

(ii) यदि हां तो उचित दंड क्या होगा?

उक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 29 गवाहान के बयान लेखबद्व करवाए गए

"Authenticated Document"

हैं जिनका क्रमवार विनिश्चय निम्न प्रकार से है-

प्रकरण में परीक्षित गवाह पी0ड01 रामकुमार ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 14.07.2008 को उसके पुलिस में बयान हुये थे। पुलिस बयान 161 में जो भी उसके द्वारा लिखाया गया है वह बिल्कुल सही है इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। बलराम यादव ने हॉलैंड ट्रेक्टर का एक शोरूम सांगोद में डाला था और वह ट्रेक्टर बेचने का कार्य करता था इस कारण में उसे जानता है। वह ड्राइवर लाने के लिये थेरोली गांव गया था। वहां पर मेघराज गुर्जर के घर पर बलराम यादव बैठा था। मेघराज व बलराम यादव आपस में ट्रेक्टर लेने की बात कर रहे थे। बलराम यादव मेघराज को कह रहा था कि पुराना ट्रेक्टर पावर ट्रेक का है उसे दे दो उसकी जगह वह तुम्हे नया ट्रेक्टर हौलेंड कम्पनी का दिला देगा। मेघराज का पुराना ट्रेक्टर भूमि विकास बैंक से लोन पर ले रखा था तो उसने कहा की इसके उपर जो ढाई लाख रूपये की राशि लोन पर चल रही है तो उसका वह कम करवाकर के पुराने ट्रेक्टर का लोन चुका देगा तथा उसने बलराम के ट्रेक्टर 1 लाख 75 हजार रूपये लगाये, 75 हजार रूपये और नकद देने पड़ेंगे और उसके बदले नया ट्रेक्टर हॉलैंड कम्पनी का दे दिया तथा पुराना ट्रेक्टर व पैसे सांगोद शोरूम पर बलराम को संभला दिये। बलराम ने ना तो पैसे जमा करवाये बैंक में और पुराना ट्रेक्टर भी ले गया तथा भामाशाहमंडी कोटा के पास से कंपनी वालो ने मेघराज से कम्पनी वालो ने ले लिया। बलराम यादव ने मेघराज के साथ धोखाधड़ी की। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह 12 बजे के आसपास की बात है। रघुवीर व मैं सांगोद आये थे। 14 जुलाई को आये थे। रघुवीर व मैं मोटरसाईकिल से आये थे मोटरसाईकिल रघुवीर की थी। रघुवीर मोटरसाईकिल चला रहा था मैं पीछे बैठा था। फिर हमने नया ट्रेक्टर खरीदा। ट्रेक्टर खरीदते वक्त रघुवीर ने खरीदार के रूप में खरीद के कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। मैं शौरूम के बाहर बैठा था। इसलिए मुझे याद

"Authenticated Document"

नही है कि अन्दर शोरूम में क्या-क्या कार्यवाही हुई। हम लोग थैराली से बलराम व मेघराज के बाते करने के करीब एक घंटे बाद सांगोद के लिये रवाना हो गये। थैरोली से पुराने ट्रेक्टर को मेघराज का पुत्र चलाकर सांगोद लाया था इसी सांगाद से वापस थैरोली जाते समय नये ट्रेक्टर को रघुवेर चला कर ले गया था। सौ-सौ के नोट थे। सौ-सौ के पिचत्तर नोट थे किसने गिने मुझे पता नहीं है। ट्रेक्टर दान में दिया था। ट्रेक्टर फाईनेंस नहीं करवाया था। घटना मेरे सामने की नहीं है। घटना मुझे मेघराज द्वारा बताई थी इसलिए कह रहा हूँ। पुराना ट्रेक्टर बैंक के पक्ष में रहनबार दर्ज हो और इसके बावजूद रघुवीर मेघराज द्वारा ट्रेक्टर विक्रय कर दिया हो तो मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि ट्रेक्टर फाईनेंस करवाते समय खाते की नकल, नक्शे की नकल और टीप की नकल की आवश्यकता होती हो बल्कि हम लोग बिना नकलो के ट्रेक्टर खरीदने जाते थे। रघुवीर व मेघराज ने बैंक लोन नहीं चुकाया। ट्रैक्टर की अदला बदली की बात के सम्बध में कोई लिखापढी नहीं की गयी थी। मुझे घटना की तारीख व सन याद नहीं है। मेरे सामने बैंक ने कोई नोडयूस जारी नही किया था। यह कहना सही है कि जिस दिन मेघराज व बलराम को बातचीत करते वक्त मैंने सुना उसी दिन ट्रेक्टर लेने सांगोद गया था। फिर कहा कि मुझे ध्यान नहीं है। मेरे पुलिस बयान डी 1 में ए से बी भाग सही है लेकिन मेरे द्वारा ऊपर दिये गये बयान जिसमें दिनांक 14 जुलाई को सांगोद आकर ट्रेक्टर लेकर आने वाली बात गलत है। मुझे घटना की बात याद है लेकिन कुछ बातें भूल गया। यह कहना गलत है कि मेघराज ने मुझे महीने डेढ महीने बाद बताया हो बल्कि मैंने स्वयं सांगोद ट्रेक्टर मेघराज को संभलाया, बलराम एवं मैं वहां मौजूद था। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में मेरे सामने सांगोद आकर बलराम को पुराना ट्रेक्टर संभलाने व नया ट्रेक्टर प्राप्त करने की बात लिखवाई। यह कहना सही है कि जिस वक्त कंपनी वालों ने फरियादी मेघराज का ट्रेक्टर कोटा मंडी से उठाया मैं उस वक्त वही

"Authenticated Document"

था मैं वहां कोटा मंडी में अनाज बेचने गया था। प्रदर्श डी 1 का सी से डी भाग सही है।

गवाह पी0ड0 2 मेघराज ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि सन 2005 की बात है। बलराम यादव औंकारपुरा निवासी उनके गांव थैरोली में आता जाता था और उससे कहा कि पुराना ट्रेक्टर दे दो और नया ट्रेक्टर ले लो। गांव के अन्य लोगो ने भी पुराने ट्रेक्टर देकर नये ट्रेक्टर लिये थे और उससे कहा था कि आपका इसमें ब्याज भी कम लगेगा। उसका पुराना ट्रेक्टर सन 2000 में उसके पिताजी नाथुलाल जी ने लिया था जमीन को रहन रखकर भुमि विकास बैंक से लोन पर लिया था। उसके पिताजी 2003 में शांत हो गये थे इसलिए इसके बाद टाईम टाईम पर ट्रेक्टर की किश्ते जमा करवाता रहा है। उसके ट्रेक्टर के नम्बर आर जे 20-7596 थे। बलराम के कहने पर उसने उसका ट्रेक्टर व 75000 रूपये बलराम को दिये थे फिर उसके बदले में उसे सांगोद से न्यू हौलेंड शोरूम से एक नया ट्रेक्टर दिलवाया था यह कहकर कि तेरा बैंक में पुराने वाले ट्रेक्टर का पैसा जमा करवा देगा व ट्रेक्टर पर लोन पास करवा देगा व तेरा ब्याज भी कम लगेगा। उसने ट्रेक्टर के कागज मांगे तो बलराम ने कागज देने से मना कर दिया और कहा कि वह दो-पांच दिन बाद में दे देगा। उसके बाद उसे बलराम ने कोई कागज नहीं दिया फिर वह उनके गांव के सरपंच रामेश्वर मीणा जी को लेकर कोटा न्यू हौलेंड की कंपनी भी गया था वहां पर उसने कम्पनी के मालिक धीरेन्द्र खंडेलवाल से ट्रेक्टर के कागज मांगे। उन्होने उसे कागज नहीं दिये और कहा कि बलराम कागज देगा। वह कोटा भामाशाह मंडी में अनाज (सरसो) बेचने गया था। ट्रेक्टर को ड्राईवर महावीर सहित सही करवाने के लिये बाहर दुकान पर खड़ा करके मंडी में चला गया था। मिस्त्री ने उसके पास फोन किया कि तुम्हारे ड्राईवर को व ट्रेक्टर को पांच- छः जने जीप में बैठकर आये और ले गये। फिर वह मिस्त्री के पास पहुंचा तो उसने बताया कि हौलेंड कंपनी वाले ले गये थे। वह व चौथमल जी हौलेंड शोरूम कोटा पर जाकर धीरेन्द्र खंडेलवाल कंपनी

"Authenticated Document"

वाले से उसके ट्रेक्टर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे ट्रेक्टर के पैसे उसके पास नही आये है और तुम्हारे ट्रेक्टर का रूपया उसके पास जमा नही है इसलिए वह ट्रेक्टर लेकर आ गया। तुम्हे जो करना है वह कर लो और बलराम से जा कर कहो जो कहना है। उसके बाद उसने एस पी आफिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी। उसका ट्रेक्टर ले गये थे तब उसने रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी। एस पी साहब कोटा को दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। असल आर सी ट्रेक्टर आइ जे 20 आर 7596 प्रदर्श पी 2 है, नकल ट्रेक्टर आर सी प्रदर्श पी 2ए है जो शामिल पत्रावली है। बलराम ने एक कागज पर यह कहकर कि यह 75000 रूपये तुमने दिये है जिसके हस्ताक्षर कर दो तो रघुवीर उसके छोटे भाई ने हस्ताक्षर किये थे। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि नया ट्रेक्टर मेरे पास 7 से 8 महीने तक ही रहा था उसके बाद कंपनी वाले ले गये थे। नया ट्रेक्टर कंपनी ने मुझे तीसरे महीने वर्ष 2005 में दिया था। मैंने नये ट्रेक्टर के साथ अन्य कोई सामान नही लिया था। जब मैंने मुलजिम से पुराने ट्रेक्टर के बेचान का सौदा किया था तो उस समय गांव में और रामकुमार तथा मेरे घर के लोग मौजूद थे। मैंने मुलजिम को ट्रेक्टर 175000 में बेचा था। मैंने ट्रेक्टर खरीदा उसके 7 से 8 महीने में ही कंपनी ने ट्रेक्टर वापस ले लिया था। सांगोद में ट्रेक्टर का शोरूम किसका है मुझे पता नही था मैंने तो ट्रेक्टर बलराम से खरीदा था। मैं शोरूम पर ट्रेक्टर लेने नहीं आया था बल्कि मेरा भाई व मेरा बच्चा प्रदीप ट्रेक्टर लेने सांगोद शोरूम पर आये थे। गवाह ने खुद कहा कि कागज पर हस्ताक्षर मेरे भाई के ट्रेक्टर लेते वक्त करवाये थे। मैंने मुलजिम का ट्रेक्टर सुपुर्द करते व मेरे भाई के हस्ताक्षर करवाते नही देखा, मेरे से तो मेरे भाई ने कहा था मेरी बात बलराम से हो गयी थी उसके बाद ही मैंने मेरे भाई को ट्रेक्टर लेने भेजा था। बलराम ट्रेक्टर खरीदा उस दिन मेरे घर से शोरूम पर आया था जो मेरे भाई और बच्चे के साथ रवाना हुये थे। बलराम थैरोली से

"Authenticated Document"

मोटरसाईकिल पर सांगोद पर आया था मेरा बच्चा व मेरा भाई पुराना ट्रेक्टर लेकर सांगोद आये थे। यह बात वर्ष 2006 की है। यह घटना 12 साल पूर्व की है। मैंने नया ट्रेक्टर करने से पूर्व जमाबदी, गिरदावरी व नक्शे की नकल नहीं निकलवायी बल्कि मुलजिम ने निकलवायी थी, पटवारी जी ने मेरे फोन किया था कि मैं बलराम को नकलें दे दूं क्या तो मैंने कहा कि दे दो तो उन्होंने नकले दी थी। फोन मेरे मोबाईल पर आया था। मेरा बडा बच्चा 25 से 26 साल का है। मेरी बच्ची कितने साल की है मुझे पता नहीं है। मैं 52 साल का हूं। यह कहना गलत है कि पटवारी का जब मेरे पास फोन आया था तब मेरे पास फोन ना हो बल्कि मेरे पास फोन था जो मैंने कुन्दनपुर के अनवर से नोकिया कंपनी का खरीदा था। यह कहना सही है कि भूमि विकास बैंक द्वारा नोडयूस जारी कर दिया था। पटवारी जी ने मुझे यह बताया था की तेरी जमीन रहन से मुक्त हो गयी है मेरे पास नोडयूज आ गया है। पटवारी जी ने मेरी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से पुराने ट्रेक्टर के ऋण का नोट हटा दिया था। गवाह ने खुद कहा कि मैं बलराम के नया ट्रेक्टर का लोन पास करवाने गया था। जब मैंने भूमि विकास बैंक में जाकर पूछा तो बैंक वाले ने बताया कि तेरे कोई पैसे जमा नही हुये ये तुझे देने पड़ेंगे फिर मुझे मालूम पडते ही मैंने नये ट्रेक्टर पर लोन नही करवाया था। यह कहना सही है कि नये ट्रेक्टर का लोने मेरे द्वारा स्वेच्छा से ही नही करवाया गया था। यह कहना सही है कि मैंने नये ट्रेक्टर का लोन नही करवाया और कंपनी के पास नये ट्रेक्टर की राशि लोन से अदा ना होने के कारण ही कंपनी ने हमारा ट्रेक्टर वापस ले लिया था। जब ट्रेक्टर कोटा मंडी से कंपनी वाले वापिस ले गये तो ट्रेक्टर को धीरेन्द्र खंडेलवाल ही वापिस लेकर गया था। यह कहना सही है कि मुलजिम कभी भी नया ट्रेक्टर हमसे वापस मांगने या लेने के लिये नही आया था। मैं अनपढ हूं। पढना लिखना नहीं आता है। एस पी आफिस कार्यालय कोटा में रिपोर्ट देने मैं अकेला ही गया था। धीरेन्द्र द्वारा हमसे ट्रेक्टर वापिस

"Authenticated Document"

लेने के दूसरे दिन मैं एस पी साहब के यहां गया था और रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दी थी। मैंने प्रदर्श पी 1 कोटा टाईप करवायी थी। प्रदर्श पी 1 में क्या लिखा है मैंनें नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पढना नहीं आता है। मेरे द्वारा मुलजिम को राशि 75000 अदा करने के बाद मुलजिम ने भुमि विकास बैंक में हमारा लोन चुका कर बैंक से नोडयूस जारी करवाया हो तो मुझे याद नही है। प्रदर्श पी 1 का सी से डी भाग सही है जो मेरे द्वारा ही लिखवाया गया था। जिस दिन मैंने मुलजिम को मेरा पुराना ट्रेक्टर व 75000 रूपये की रकम संभलाई उस दिन बैंक की हमारे ऊपर रहन राशि 275000 हजार रूपये बकाया थी। यह कहना सही है कि बैंक की 275000 की रकम मैंने अथवा मेरे परिवारजनो ने बैंक में जमा नहीं करवायी, ना ही हमने नोडयूस प्राप्त किया। ट्रेक्टर बेचान की 175000 रूपये व मेरे द्वारा अदा किये गये 75000 रूपये कुल 250000 रूपये एवं 25000 रूपये स्वयं के पास से मिलाकर कुल 275000 रूपये मुलजिम ने बैंक में जमा करवा कर हमारे खाते का नोडयूस मुलजिम ने ही प्राप्त किया था। हमने न तो कोई राशि जमा करी, ना ही नोडयूस प्राप्त नहीं किया। मेरे पुलिस द्वारा विज्ञान नगर थाने में बयान हुये थे। मैं नया ट्रेक्टर लेने शोरूम पर नहीं आया। मैं उस वक्त गांव में ही था। मुलजिम ने नये ट्रेक्टर खरीदते वक्त मुझसे कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये। जो मैंने बात कही है वह सही नहीं है बल्कि जो कागजो में लिखी है वह सही है। यह कहना सही है कि मैं व मेरा भाई सांगोद शोरूम पर मुलजिम को पुराना ट्रेक्टर देने व नया ट्रेक्टर लेने नहीं आये। यह कहना सही है कि मैंने नये ट्रेक्टर को खरीदने व लोन स्वीकृत करवाने संबंधी कोई कागजात बलराम यादव को नही दिये। प्रदर्श पी-1 का ई से एफ भाग गलत अंकित किया हुआ है जो मैंने नही लिखवाया था। प्रश्नः आपने नये ट्रेक्टर को खरीद करने के पूर्व किसी भी वित्तीय संस्था से लोन स्वीकृत नहीं करवाया जिसके कारण भुगतान ना होने से कंपनी ने ट्रेक्टर का कब्जा वापस प्राप्त किया है। उत्तरः- मैंने मुलजिम बलराम को पटवारी जी से जमाबंदी

"Authenticated Document"

व नक्शे की तीन-चार नकले दिलवा दी थी नया ट्रेक्टर खरीदने के बाबत उक्त दस्तावेज उसको दे दिये। बैंक से कोई लोन स्वीकृत नहीं करवाया क्योंकि मैंने कागजात बलराम को लोन स्वीकृत करने बाबत दे दिये थे तथा कंपनी को पैसा जमा नहीं करवाया इसलिए ट्रेक्टर ले गये। यह कहना सही है कि मुझे ट्रेक्टर का लोन स्वीकृत कराने और नये ट्रेक्टर के कागजात देने का आश्वासन धीरेन्द्र खडेलवाल ने दिया था। बलराम ने हमें लोन स्वीकृत करवाने और नये ट्रेक्टर देने का आश्वासन नही दिया था लेकिन धीरेन्द्र खंडेलवान ने लोन स्वीकृत नही करवाया जिसके कारण मेरा नया ट्रेक्टर वापिस चला गया। यदि धीरेन्द्र खंडेलवाल अपने वादे के अनुसार नये ट्रेक्टर का लोन स्वीकृत करवा देता तो हम मुकदमा दर्ज नही करवाते। मेरे तीन बहने है और हम दो भाई है, मेरी मां इस वर्ष शांत हो गयी। ट्रेक्टर खरीदने से पहले मेरी बहनों का नाम खाते से हट गया था इसलिए बहनो ने ट्रेक्टर लेने में साईन नही किये थे। यह कहना सही है कि मैंने धीरेन्द्र खंडेलवाल के खिलाफ भी रिपोर्ट दी थी। ट्रेक्टर के बारे में मुझे जानकारी नही है कि अभी कहां है। मैंने ट्रेक्टर बलराम को दिया था लेकिन पुलिस ने उससे जब्त नही किया था।

गवाह पी0ड0 3 रघुवीर ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि सन 2005 की बात है। बलराम उनके गांव थैरोली मे आया था और उसने उससे व उसके भाई से कहा कि पुराना ट्रेक्टर के बदले में नया ट्रेक्टर दे देगा, पुराने टैक्टर के नम्बर आर जे 20-7596 थे। ट्रेक्टर उसके पिताजी नाथुलाल जी के नाम पर था। बलराम ने दो तीन गांव वालो के पुराने ट्रेक्टर लेकर के नये टैक्टर भी दिये थे। बलराम ने उनके पुराने ट्रेक्टर की कीमत 175000 रूपये तय की थी जिस पर बलराम को ट्रेक्टर व 75000 रूपये नकद दिये और हौलेंड कंपनी सांगोद से एक नया ट्रेक्टर ले आये। उसने उनसे कहा था तुम्हे और कोई लोन का पैसा नही देना, तुम पुराना ट्रेक्टर व 75000 रूपये नकद दे दो इसमें सब कुछ हो जाएगा। वह जब ट्रेक्टर बलराम से लेकर आया तब

"Authenticated Document"

उसे उसने ट्रेक्टर के कागज नही दिये। उसके भाई ने भी उससे ट्रेक्टर के कागज मांगे तो उसने मना कर दिया। उसके भाई ने पुराने ट्रेक्टर के कागज भी बलराम को दे दिये थे। उसके बाद जब उसका भाई 2007 में कोटा भामाशाह मंडी में सरसो बेचने गया था उसका ड्राईवर महावीर भी साथ था। महावीर व ट्रेक्टर को मिस्त्री की दुकान पर ठीक करवाने के लिये दुकान पर छोड दिया व भामाशाह मंडी चला गया तो उसके बाद उसका नया ट्रेक्टर हौलेन्ड कंपनी के धीरेन्द्र खंडेलवाल ले गये। ट्रेक्टर को 4 से 5 जने जो जीप में बैठकर आये थे, ले गये। यह बात ड्राइवर ने उसके भाई साहब को बताई थी। बलराम ने यह भी कहा था कि तुम्हारा पुराना ट्रेक्टर व 75000 रूपये उसे दे दो तो वह तुम्हे नया ट्रेक्टर दिलवा देगा तो तुम्हारा सब फाइनल हो जाएगा और कोई पैसे भी नहीं देने पडेंगे भुमि विकास बैंक का कोई ऋण भी कोई मैनेजर वगैरा मांगने नही आयेगा। बाद में उनसे पैसा लेने भुमि विकास बैंक वाले आये थे और कह रहे थे कि तुम्हारी जमीन को नीलाम व कुर्क कर देंगे, पैसे जल्दी जमा करवाओ। बलराम ने भुमि का लोन जमा नहीं करवाया होगा इसलिए पैसा लेने ये भुमि विकास बैंक वाले यहां आ जाते थे। बलराम से जब वह नया ट्रेक्टर लेकर आ रहा था तब उसके कागज पर साईन करवाये थे और कहा था कि नया ट्रेक्टर लेकर जा रहा है तो साईन तो कर जा। बलराम ने उनका ट्रेक्टर व 75000 रूपये की राशि को हडप लिया और उनसे धोखा किया। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी जमीन 350000 बैंक को देकर के छुडवायी थी। अब बैंक वाले उनके पास मांगने नहीं आते है और नया व पुराना टैक्टर भी उनके पास नहीं है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मुलजिम व हमारे बीच पुराने ट्रेक्टर को 175000 रूपये में मुलजिम को बेचान करने का सौदा गांव में हुआ था। सौदे की कोई लिखा-पढी नही की गयी, सौदा मौखिक ही हुआ था। पुलिस ने मेरे बयान कोटा में लिये थे। हमारे बयान पुलिस ने एस पी साहब को लिखित शिकायत प्रदर्श पी 1 देने के 2 से

"Authenticated Document"

3 दिन बाद कोटा में लिये थे। हमारे सांगोद थाने द्वारा कोई बयान नहीं लिये गये। मेरे भाई मेघराज ने पुराने ट्रेक्टर 7596 की असल आर.सी. की डायरी प्रदर्श पी 2 बलराम को दे दी थी क्योंकि हमने ट्रेक्टर उसको बेच दिया था। हमने ट्रेक्टर 175000 रूपये में बेचा था तथा 75000 रूपये नकद दिये थे उसके बाद मुलजिम ने बैंक में बकाया जमा करवाकर बैंक नोड्यूस प्राप्त कर पटवारी हल्का के यहां रहन का नोट हटवाया था। हमने नये ट्रेक्टर के फाइनेन्स के लिये किसी भी बैंक में लोन की कार्यवाही नहीं की, न ही नये ट्रेक्टर की राशि का भुगतान कंपनी को किया। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा नये ट्रेक्टर की कीमत का भुगतान नही करने से कंपनी के मालिक धीरेन्द्र खंडेलवाल द्वारा ट्रेक्टर वापिस प्राप्त कर लिया गया। जिस वक्त ट्रेक्टर को कोटा मंडी में से ले गये उस वक्त बलराम वहां नहीं था बल्कि कंपनी का मालिक धीरेन्द्र खंडेलवाल व अन्य चार-पांच जने हमारे ट्रेक्टर को ले गये थे। जिस दिन मैं पुराना ट्रेक्टर लेकर गांव से सांगोद आया तो मैं खुद चलाकर ट्रेक्टर लाया था। मैं अकेला ही था। मेरे साथ अन्य कोई नही था। मेघराज गांव में ही था। जब मैं गाँव से सांगोद आया तो बलराम हमारे साथ नहीं आया था। बलराम तो सांगोद ही था, पुराने ट्रेक्टर को देने व नये ट्रेक्टर को लेने के संबंध में हमारे बीच में कोई लिखा-पढी नही हुयी थी। पुराना ट्रेक्टर मेरे पिताजी के नाम पर था तथा उनकी मृत्यु के बाद हम दो भाई, तीन बहन व हमारी मां कुल छः जने ट्रेक्टर के मालिक थे किन्तु हमारी बहिनों व मां ने पुराने ट्रेक्टर को बेचने के बाबत हस्ताक्षर नही किये। मुलजिम ने हमारे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाये, ना ही कोई लिखा-पढी करी, ना ही मुलजिम हमारे यहां से ट्रेक्टर को लेकर आया था बल्कि ट्रेक्टर बेचने मैं खुद आया था और नया ट्रेक्टर लेकर भी मैं खुद आया था। मुलजिम ने पुराने ट्रेक्टर अथवा नये ट्रेक्टर के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजों की कूटरचना नहीं की। बैंक की कोई राशि बकाया नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 आर.सी. की असल डायरी

"Authenticated Document"

मेरे भाई मेघराज के पास ही है जो आज उसके द्वारा अदालत में पेश की गयी है।

गवाह पी0ड0 4 नरेश ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह कुन्दपुर गांव का रहने वाला है। मेरे आस-पास घांटोलिया, किशनपुरा, कांगनिया, खुराडियां गांव स्थित है। उनका आवागमन थैरोली, अत्रालिया, मंडाप, आमली, घटाल गांवो में आना जाना रहता है। वर्ष 2007-08 की बात है। वह थैरोली गांव में मेघराज जी के पास मोटरसाईकिल खड़ी करके अत्रालिया माल में जाता था। मेघराज जी को पुराना ट्रेक्टर कटवाकर नया ट्रेक्टर लेना था। मेघराज के पास सांगोद फार्म टेक कंपनी से कंपनी वाले आये थे जिनका नाम पता वह नही जानता। मेघराज ने कंपनी वालो ने बात की थी कि पुराना ट्रेक्टर देकर नया ट्रेक्टर लेना है। पैसे की बात हुयी थी कितने की बात हुयी थी उसे ध्यान नहीं है। उसके सामने लेन देन हुआ था लेकिन कितने का हुआ था यह उसे आज घ्यान नही है। है। ट्रेक्टर की कीमत कितनी आंकी थी उसकी जानकारी में नहीं है। मेघराज ने एजेंसी के किसी व्यक्ति से बात की थी जिसका नाम बलराम होगा। मेघराज का पुराना ट्रेक्टर कंपनी वाले उसके सामने लेकर गये थे और नया ट्रेक्टर एक-दो दिन बाद देकर गये थे। मेघराज जब नया ट्रेक्टर लेकर आया उससे महीने दो- महीने की बात है। नया ट्रेक्टर फार्मटेक हौलेंड कंपनी का था। महीने दो महीने बाद वह मेघराज के उस ट्रेक्टर में अपनी सरसों भरकर कोटा ले जा रहे थे कंपनी वाले मंडी में आ गये थे तथा मंडी से टैक्टर को लेकर चले गये। मेघराज, वह तथा ड्राईवर कंपनी वालो के पास गये थे। कंपनी वालो ने दादागिरी करके भगा दिया और कहा कि तुम्हारा कोई टैक्टर वैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका पुराना टैक्टर तो दो। कंपनी वालो ने उन्हें वहां से भगा दिया। कंपनी वालो ने उनका पुराना टैक्टर नही दिया और भगा दिया। उसके बाद मेघराज ने उक्त घटना के बाबत रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मेघराज डाईवर और मैं हम तीनों कोटा कंपनी के कार्यालय पर गये

"Authenticated Document"

थे। हम सांगोद कंपनी के कार्यालय पर नहीं गये। मेघराज व कंपनी वाले थैरोली में जो बातचीत कर रहे थे और किस दिन और किस समय की बात है मुझे ध्यान नही है। कंपनी वाले और मेघराज के बीच में क्या बात हुयी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे आने से पहले इनकी बातचीत हो चुकी थी। मैं कंपनी वाले को शक्ल से नहीं जानता हूँ। मेरे सामने फरीयादी व मुलजिम ने ट्रेक्टर अथवा नकद रूपयों का कोई लेन-देन नहीं किया। कंपनी का मालिक धीरेन्द्र खंडेलवाल है जिसने ही घटना कारीत की थी। मेरे सामने कोई लिखा-पढी नहीं हुयी। पुलिस ने मेरे कोई बयान नहीं लिये। कोटा मंडी में से जब कंपनी वाले ट्रेक्टर को लेकर के गये तो मैं व मेघराज वहां नहीं थे हमारे सामने कंपनी वाले ट्रेक्टर लेकर नही गये। मेरे सामने कोई घटना कारित नही हुयी।

गवाह पी0ड0 5 शाकिर उर्फ जहिर मोहम्मद ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि उसकी भामाशाह मण्डी कोटा में अरावली ट्रेक्टर रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान उसकी 2002 से है। वर्ष 2007 की बात है। एक होलेण्ड ट्रेक्टर लेकर दिन की 11 बजे उसके पास महावीर व मेघराज रिपेयरिंग कराने आये थे। वहां पर उसका पार्टनर मुख्तार भी आया था जो बाद में सामान लेने चला गया। फिर दिन के 2.30 बजे गाडी लेकर 3-4 आदमी टवेरा गाडी लेकर उसकी दुकान पर आये और देखकर चले गये। फिर दुबारा आये तो उसने उनसे पूछा क्या बात है उन्होंने कहा टेक्टर लेने कम्पनी से आये है। फिर वो वहां से उसकी बात सुने बिना टेक्टर को टोचिंग करके लेकर चले गए। टेक्टर मालिक वहां नही था। टेक्टर मालिक सामान लेने गए थे, जो टोचिंग करके टेक्टर ले गए थे उनके साथ टेक्टर ड्राईवर महावीर भी चला गया था। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मुझे ट्रेक्टर के नम्बर याद नही है। मेघराज हमारा पुराना कस्टमर था मैं उसे जानता हूं। मुझे आज याद नहीं है कि होलेण्ड ट्रेक्टर के नम्बर लिख रहे थे या नहीं। जब ट्रेक्टर ले गए थे तब वहां मैं ही था। ट्रेक्टर की क्लच पलेटे चेंज कर

"Authenticated Document"

रहे थे ट्रेक्टर साल दो साल पुराना था। ट्रेक्टर के टायर लगभग दो साल चले हुए थे। मैंने बलराम को देखा नही, लेकिन उसके बारे में सुना है कि वह कम्पनी एजेन्ट है।

गवाह पी0ड0 6 मुख्तार अहमद ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि उसकी भामाशाह मण्डी कोटा में टेक्टर रिपेयरिंग की दुकान है। वर्ष 2007 की बात है। एक होलेण्ड टेक्टर लेकर दिन की 11 बजे उसके पास ड्राईवर महावीर आया था। उसकी दूकान पर उसका पार्टनर शाकिर भी था। फिर उसके साथ एक व्यक्ति टेक्टर सामान लेने चला गया था। फिर वे जब वापस आये तो दूकान पर टेक्टर नहीं मिला तो उसे बताया कि टेक्टर को कम्पनी वाले लेकर चले गए। टेक्टर के क्लच प्लेट खराब थे। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि ट्रेक्टर के नम्बर मुझे याद नही है। ट्रेक्टर के मालिक का नाम हेमराज गोचर है फिर बोला मेघराज गोचर है। मेघराज का ट्रेक्टर ड्राईवर महावीर आया था। यह कहना सही है कि मैं बलराम को नहीं जानता हूं। यह कहना सही है कि ट्रेक्टर मेरे सामने लेकर नहीं गये थे। मैं मेघराज को 1999 से जानता हूं। मेघराज के पास पहले पावर ट्रेक्टर 435 था।

गवाह पी0ड0 7 धनेन्द्र खंडेलवाल ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह कोटा में शील भवन कोटडी रोड गुमानपुरा कोटा पर निवास करता है। उसका व्यवसाय है। उसके रिटेल के शोरूम है। उसका एक्स स्टेप कंपनी का शोरूम है और वर्तमान में फार्म टैक्टर बेचने का भी व्यवसाय है। ये व्यवसाय वह सन 2016 से कर रहा है। उसका सन 2003 से 2008-2009 तक न्यू हॉलेड टैक्टर कंपनी के न्यू हॉलैंड ब्रांड के टैक्टर बेचने का व्यवसाय था। सांगोद में फरवरी 2006 से बतौर कमीशन ऐजेंट बलराम यादव पुत्र देवकरण यादव निवासी ऑकारपुरा जिला बूंदी उसके टैक्टर बेचने का कार्य करता था। कार्य स्वयं के शौरूम पर करता था। बलराम यादव उससे 3-4 टैक्टर

"Authenticated Document"

उसके शोरूम पर बेचने के लिये ले गया था। बलराम यादव ने दो टैक्टर एक रामरतन मीणा अतरालिया व दूसरा टैक्टर रघुवीर गुर्जर निवासी तेहरोली को न्यू हॉलॅन्ड माडल 3230 दिया था। दोनो टैक्टरो का काफी समय तक भुगतान नहीं हुआ। दोनो टैक्टरों को वर्ष 2006 में दिये थे। बहुत समय तक भुगतान नही हुआ। बलराम से पूछने पर वह टालम टोल करता रहा और जल्दी ही भुगतान करवाने का झूंठा आश्वासन देता रहा जिनमे से एक टैक्टर रामरतन मीणा ग्राम अतरालिया का किसी कारणवश गलती से रोड एक्ट सांगोद में जब्त हो गया जो कि उसकी सम्पत्ति होने के कारण उसने एस डी एम सांगोद से छुडवा लिया। दूसरा टेक्टर रघुवीर गुर्जर निवासी अतरालिया का काफी समय लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी भुगतान नही होने पर टैक्टर कोटा आने पर जरिये बलराम यादव उसने अपने कब्जे में ले लिया। उक्त टैक्टर जो रघुवीर गुर्जर को बलराम द्वारा दिया गया था। इसका उसे एक रूपया भी भुगतान प्राप्त नही हुआ। इस संदर्भ में रघुवीर गुर्जर द्वारा उसे सम्पर्क करके कर कहा गया कि उसने एक पुराना टेक्टर बलराम यादव को दिया है और रकम 75 हजार भी देना बताया है। रघुवीर गुर्जर को उसने बताया कि उसको ना तो कोई पुराना टैक्टर प्राप्त हुआ है, ना ही रकम 75 हजार रूपये प्राप्त हुई जिसने ये रकम प्राप्त की है या टैक्टर प्राप्त की है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करे। इसके पश्चात बलराम यादव को उसने अपने शोरूम पर बुलाया और उसे इन बातों से अवगत करवाया तो उसने इस प्रकार का किसी भी तरह का लेनदेन करने से मना कर दिया। उसने उससे इस बाबत एक शपथ पत्र प्राप्त किया जिसमें उसने सांगोद में ग्राहको द्वारा किये गये लेनदेन की समस्त जवाबदारी उसी की होना बताया। इसके पश्चात बलराम यादव को उसने कमीशन एजेन्ट से हटा दिया और हिसाब किताब करने के पश्चात उसकी बकाया रकम का भुगतान पेटे एक चेक प्राप्त किया। बलराम यादव ने उसे फंसाने की नियत से और वह किसी भी प्रकार की रकम का

"Authenticated Document"

तकाजा ना कर सके, सितंबर 2007 में उसके खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा एक अपहरण का झूंठा मुकदमा सदर थाना बूंदी में दर्ज करवाया था जिसमें एफआर लग चुकी थी। बलराम यादव ने उसे ना तो कोई पुराना टेक्टर संभलाया था, ना ही उसे कोई रकम अदा की थी। असल जो शपथ पत्र बलराम ने उसे दिया था अभी वर्तमान में नही मिल रहा है जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में मौजूद है जो की एटेस्टेड है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मुलजिम जब भी मेरा एक ट्रेक्टर बेचता था तब मैं उसे 10 से 15 हजार रूपये कमीशन देता था। यह कहना सही है कि बलराम यादव को मैंने सांगोद में ट्रेक्टर बेचने के लिये बतौर कमीशन एजेन्ट रखा हुआ था। सांगोद के अलावा मेरे एजेन्ट और सेल्समेन सभी तहसीलों में ट्रेक्टर बेचने का काम करते थे। तहसीलों के नाम दीगोद, लाडपुरा, रामगंजमंडी और पीपल्दा है। कोटा सभी तहसीलों में गांव गांव में सेल्समेन व कमीशन एजेन्ट घूमा करते हैं। सांगोद में कुन्दनपुर रोड पर बलराम यादव का शौरूम था जहां पर हमारे ट्रेक्टर खड़े रहते थे। वहीं पर मेरे अनसोल्ड ट्रेक्टर खड़े रहते थे। कमीशन एजेन्ट ट्रेक्टर की स्वीकृति नही लेता था, बस ट्रेक्टर की कीमत का भुगतान करना होता था। ट्रेक्टर की डीलिवरी देने से पहले भी कमीशन एजेन्ट को मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे अधिकार मैंने कमीशन एजेन्टस को दे रखे थे। ट्रेक्टर की डिलीवरी देने के बाद बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर हमें ट्रेक्टर की कीमत का भुगतान होता था। रघुवीर को दिये गये नये ट्रेक्टर का बैंक से काफी समय तक ऋण स्वीकृत होकर भुगतान नहीं हुआ था किस कारण नहीं हुआ यह मैं नहीं बता सकता। ट्रेक्टर डीलिवरी से पहले टोकन मनी भी मैंने नहीं ली थी। मुझे डिलीवरी देने के 8-10 महीने बाद बलराम यादव द्वारा पता चला कि दोनों ट्रेक्टर उपरोक्त व्यक्तियों को दिये हुए है। सांगोद में मेरा कोई सेल्समेन नहीं था ना ही कोई कर्मचारी था। बैंक लोन किसान की हैसियत के हिसाब से करता है। बैंक ऋण स्वीकृति के मापदंड बैंक के द्वारा नियत होते है

"Authenticated Document"

इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कितना लोन स्वीकृत होता है। सांगोद में मेने 3-4 ट्रेक्टर बेचे थे। जो ट्रेक्टर बेचे थे उसके ऋण कितने दिन में स्वीकृत हुये इसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है। केश्धराय पाटन के शीरूम से भी बलराम ने एक-दो ट्रेक्टर बिकवाये थे। यह कहना सही है कि हम एक्सचेंज ऑफर में पुराने ट्रेक्टर लेकर नये ट्रेक्टर देते है। पुराने ट्रेक्टरों को हम जो कोटा में गोदाम है उसमें रखते है। जब हम नया ट्रेक्टर किसान को देते है तो कोटा शौरूम पर बतौर मार्जन कुछ रकम प्राप्त करते है और कुछ केश में रकम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करते है बल्की और पैसा देते है जो लोन पास होने पर हमें प्राप्त होता है। यह आवश्यक नहीं था कि मैं मेरी सभी शाखाओ की विजीट करता हूं। मैंने सांगोद शाखा की कभी विजीट नही करी। मैं उद्घाटन में भी नहीं आया। जब हम टोकन मनी लेते है तो किसान को रसीद देते है। मैं नहीं बता सकता कि पत्रावली में कोई रसीद है या नही मगर मैंने रघुवीर गुर्जर से किसी प्रकार की प्राप्त नहीं की ना ही कोई रसीद जारी हुई है हमारे द्वारा। मुझे कमीशन एजेन्ट द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृत कराते समय कोटेशन की आवश्यकता होती थी तब कमीशन एजेन्ट द्वारा हमें पूरी जानकारी दी जाती थी। जब मैं बलराम को ट्रेक्टर देता था तो ट्रेक्टरो की संख्या के अनुरूप चालान बनाकर के बलराम से साईन करवाकर के अपने पास रखता था। यह कहना सही है कि मैंने बलराम को जो ट्रेक्टर संभलाये थे उसकी रसीद पत्रावली में है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जो अनुसंधान के समय मुझसे कागज मांगे गये वो मैंने पेश कर दिये। जब मैं बलराम को ट्रेक्टर देता था ये इसके साधन से ही सांगोद लाता था। अगर मेरे शौरूम से टेक्टर जा रहा है तो हम लिखापढी करते थे और अगर कमीशन एजेन्ट ट्रेक्टर देता था तो वो लिखा पढी करता था। मैंने कोई रसीद नही मांगी लेकिन बलराम ने बताया था कि ट्रेक्टर रघुवीर को दिया है। मेरे द्वारा बलराम को एजेन्ट नियुक्त करने का नियुक्ती पत्र मैंने जारी किया था। यह में नहीं कह सकता कि वह नियुक्ती

"Authenticated Document"

पत्रावली में है या नहीं। जिन जिन को हम कमीशन एजेन्ट नियुक्त करते है उनको हम नियुक्ती पत्र जारी करते है। रघुवीर का पुराना ट्रेक्टर जो उसने मुझे बलराम को देना बताया था वो मेने कभी नहीं देखा, ना ही पुराने ट्रेक्टर के सेल लेटर मेरे पास या शौरूम पर उपलब्ध है। अगर किसान हमारे कोटा शौरूम पर आता था पुराना ट्रेक्टर लेकर तो उसकी एक्सचेंज की सारी प्रक्रिया सेल लेटर इत्यादि शोरूम स्थित कर्मचारी करवाते थे और कमीशन एजेन्ट अगर पुराना एक्सचेंज की कार्यवाही करता था तो उसकी प्रक्रिया सेल लेटर इत्यादि वो करवाता था। रघुवीर गुर्जर का कोई सेल लेटर मेरे सामने ना तो निष्पादित हुआ, ना ही मेरी जानकारी में आया। पुराने ट्रेक्टर, लेटर की हमने अलग पत्रावली बना रखी है। सेल लेटर में क्रेता का नाम खाली छोडकर लेते हैं और महीने दो महीने बाद जो खरीदार आता है उसको सेल लेटर संभला देते है। रघुवीर का पुराना ट्रेक्टर सांगोद शौरूम पर आया या नहीं इसकी जानकारी मुझे नही है, मुझे तो रघुवीर ने बताया था। बलराम ने रघुवीर का पुराना ट्रेक्टर लेने की बात मुझे नहीं बताई। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि बलराम ने रघुवीर से पुराना ट्रेक्टर व 75 हजार रूपये नहीं लिये हो मुझे तो रघुवीर ने बताया था। मैंने जो पुराना ट्रेक्टर काटने और 75 हजार रूपये बलराम को देने के बारे में जो बयान दिये है वो रिकोर्ड के आधार पर नहीं दिये बल्कि रघुवीर के कथन पर दिये है। रघुवीर ने मुझे ट्रेक्टर व 75 हजार देने वाली बात मेरे शोरूम कोटा में बताई थी। बलराम ने मुझे बताया था कि रघुवीर के ट्रेक्टर का बैंक ने अभी तक ऋण स्वीकृत नही किया है और ना ही भुगतान प्राप्त हुआ है और ट्रेक्टर कोटा मेकेनिक के पास आया हुआ है उसे आप अपने कब्जे में ले लो। यह कहना सही है कि बलराम के कहे अनुसार और भुगतान नहीं होने से मैं ट्रेक्टर को कब्जे से अपने वर्कशाप पर ले आया था। इस अवधि में किसान ने लगभग 1 साल से ज्यादा उपर लिया था। किसान द्वारा ट्रेक्टर में काफी टूट-फुट व खर्चा था। मुझे किसान ने अथवा बैंक ने कोई रकम अदा

"Authenticated Document"

नहीं की थी। इसके अलावा बलराम के मार्फत जो अन्य 2-3 ट्रेक्टर दिये थे उनमें इस प्रकार की समस्या नहीं आई थी क्योकि उन मामलों में बैंक द्वारा किसान को ऋण स्वीकृत कर दिया था और हमें भुगतान प्राप्त हो गया था। रघुवीर को बैंक द्वारा नये ट्रेक्टर का ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था इसलिए मुझे भुगतान नही हुआ था। पुराना ट्रेक्टर कहां है मुझे नहीं पता है। मुझे पुराने ट्रेक्टर की कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि नया ट्रेक्टर डिलीवरी में लेने के बाद भी पुराना ट्रेक्टर रघुवीर ही उपयोग में ले रहा हो। रघुवीर ने पुराना ट्रेक्टर किसको दिया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

गवाह पी0ड08 सज्जन सिंह ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 31.05.2000 से 28.08.2000 तक शाखा सांगोद में शाखा प्रबन्धक का अतिरिक्त चार्ज उसके पास था। इस दौरान दिनांक 03.08.2006 को पत्र क्रमांक 244 से जो नोडयूज जारी होना प्रतीत होता है वह फर्जी है और बैंक से जारी नहीं हुआ, पूर्व में भी उसके पदस्थापन रहते हुये विज्ञान नगर थाने से इस संबंध में अधिकारी आये थे और उसके बयान दर्ज किये थे जिसमें भी उसके द्वारा बताया गया था कि उक्त पत्र क्रमांक 244 दिनांक 03.08.2006 को जारी नोजयूज बैंक से जारी नहीं हुआ है जो फर्जी है। उस अवधि में उसके मैनेजर रहते हुये उसके हस्ताक्षर से एनओसी/ रहनमुक्ति/ना बकाया प्रमाण पत्र जारी होना था, जो जारी नहीं हुआ। तत्कालीन थानाधिकारी विज्ञान नगर कोटा द्वारा बैंक से चाहा गया रिकार्ड ऋण प्रार्थना पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, धन पत्र, अधिकार पत्र, बन्ध पत्र, भुगतान रसीदें और अन्य रिकार्ड जो उनके द्वारा चाहा गया उसके द्वारा बैंक से उपलब्ध कराया गया। फर्द जप्ती विवाद रहित पत्र, कार्यालय आदेश, अवकाश आवेदन पत्र, निरस्त आवेदन पत्र उसने थानाधिकारी विज्ञान नगर कोटा को दिनांक 24.12.2007 को प्रस्तुत किये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से भी उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी सांगोद द्वारा जर्ये पत्र एफएसएल

रिपोर्ट मय पत्र प्राप्त हुयी जो प्रदर्श पी 31 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 15 में जब्तशुदा दस्तावेजो से अभियुक्त बलराम के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। फर्जी नोडयूज क्रमांक 244 दिनाक 03.08.2006 का है जो बैंक से जारी नहीं हुआ है। अदालत की पत्रावली में संलग्न नोडयूज की कॉपी देखने पर जो हस्ताक्षर है वह मेरे नहीं है, वो पूर्णत फर्जी है। फर्जी नोडयूज की प्रथम जानकारी मेरे प्रथम अदालत में उपस्थित होने पर दिनांक 07.07.2023 को हुयी थी। यह कहना गलत है कि फर्जी नोडयूज के संदर्भ में विज्ञान नगर थाने वालों ने कोई पूछताछ की हो। फिर कहा कि विज्ञान नगर थाने वालों ने पूछताछ की तो मेरे द्वारा कहा गया कि नोडयूज क्रमांक 244 दिनांक 03.08.2006 को बैंक से जारी नहीं हुआ है और यह पूर्णतया फर्जी है। विज्ञान नगर पुलिस ने मेरे से फर्जी नोड्यूज के बारे में वर्ष 2006 में पूछताछ की थी। मैंने जो उक्त बयान में फर्जी नोडयूज की जानकारी 07.07.2023 को होना बताया है वो बात गलत लिखाई चूँकि केस 2006 का है जो लगभग 20 वर्ष पुराना है इस कारण मुझे 07.07.2023 वाली बात ध्यान नहीं रही। यह कहना सही है कि इस फर्जी नोडयूज का ज्ञान प्रथम बार मुझे 2006 में विज्ञान नगर पुलिस द्वारा पूछे जाने पर बताया गया। मेरे पास प्रूफ नहीं था इसलिये मैंने उक्त संबंध में न तो उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया और न ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। दिनांक 28.08.2006 को मेरा सांगोद ब्रांच का अतिरिक्त चार्ज समाप्त हो गया था। विज्ञान नगर पुलिस 28.08.2006 से पूर्व मेरे पास बैंक का रिकॉर्ड जब्त करने व नोडयूज के संबंध में पूछताछ के लिये आये थे। यह सही है कि 244 नंबर पर कोनसा रिकॉर्ड दर्ज है यह मुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि मेरे पास दो बैंकों का चार्ज था। व्यस्तता की वजह से मैं उक्त क्रमांक के डिस्पेच रजिस्टर को नहीं देख सका। इस नोडयूज का लाभार्थी श्री नाथूलाल पुत्र भैरूलाल व उसका पुत्र मेघराज

"Authenticated Document"

था। मैं यह नहीं बता सकता कि यदि उक्त नोडयूज के उपयोग होने से पुन ऋण राशि स्वीकृत हो जाती तो उस राशि का लाभ लाभार्थी नाथूलाल व उसके पुत्र मेघराज को मिलता नहीं। यह भी मेरी जानकारी में नहीं है कि नोडयूज का उपयोग हुआ या नहीं या कोई ऋण राशि पुनः प्राप्त की या नहीं। प्रदर्श पी 3 से जो दस्तावेज जब्त किये थे वह आज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मैं अभियुक्त को नहीं जानता और न ही अभियुक्त बलराम मेरे कार्यकाल में इस पत्रावली के ऋण के संबंध में मेरे पास आया।

गवाह पी0ड08 बालमुकुन्द शर्मा ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2004 से पटवार मंडल मंडाप में नियुक्त था। वर्ष 2006 में हाडौती एवं भूमि विकास बैंक के लेटर पेड पर वहां के मैनेजरों के हस्ताक्षरयुक्त नो ड्यूज जिस पर तहसीलदार जी के हस्ताक्षर हो रहे थे जिसका इंतकाल खोले जाने बाबत आदेश हो रहे थे। आदेशानुसार उसने भूमि रहन मुक्त करने हेतू गावं तेहराली किल्बाहेडी में नाथू लाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर की मृत्यू के बाद उसके पुत्र मेघराज के नाम इंतकाल दर्ज किया। जिसके उपर तहसीलदार सांगोद ने स्वीकृत किया। उस समय तहसीलदार जी ओमप्रकाश शर्मा थे। उसके बाद जब उसका हल्के में जाना हुआ तो वहां उसे मेघराज द्वारा मालूम हुआ कि उसका लोन अभी नहीं चूका है। उसके बाद वह हाडौती बैंक एवं भूमि विकास बैंक में गया वहां पर पता लगा कि इनका लोन जमा नहीं हुआ है। हाडौती बैंक व भूमि विकास बैंक के मैनेजरों ने तहसीलदार के नाम पत्र लिखा कि उनके बैंक का लोन जमा नहीं हुआ है, नोटिस जारी उन्होंने नहीं किया है। तहसीलदार जी ने उसे बुलाया और इंतकाल पर रहनमुक्त हटाने की रोक लगा दी। समय अधिक होने से खसरा नंबर व तारीख उसे याद नही है। नाथूलाल पुत्र भैरूलाल के खाते की भूमि की जमाबंदी प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी भाग में इंतकाल व रहन संबंधी कार्यवाही के नोट डले हुए है। मेघराज तथा नाथूलाल के गांव मंडाप के खसरा

"Authenticated Document"

नंबर की जमाबंदी प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मेघराज तथा नाबूलाल के गांव फिल्याहेडी के खसरा नंबर की जमाबंदी प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शाट्रेस व गिरदावरी, जमाबंदी गांव तेहरोली खातेदार नाथूलाल पुत्र भैरूलाल गुर्जर के खाते की जमीन के प्रदर्श क्रमश पी-7, 8 एवं 9 है जिन प्रत्येक पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि विक्रय पत्र अथवा रहन भार मुक्ति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार द्वारा इंतकाल दर्ज करने का आदेश जारी करने पर ही मेरे द्वारा इंतकाल दर्ज किया जाता है। इंतकाल दर्ज करने के लिए आवेदन काश्तकार द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाता है जिस पर तहसीलदार उचित आदेश कर हमे प्रेषित करता है। आदेशानुसार पटवारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। नोडयूज सर्टिफिकेट तहसीलदार जी के आदेश से डाक द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था जिसकी पालना में मैने कार्यवाही करी थी। ये डाक मुझे तहसील कार्मिक द्वारा ही दी गई थी। मुझे ये डाक बलराम नाम के व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी। मैने बलराम को कभी नहीं देखा। प्रदर्श पी 4 नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 खाता संख्या 29 के अंकन के अनुसार किता आठ की 4.69 हेक्टर भूमि, भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद के पक्ष रहन भार दर्ज है। यह कहना सही है कि मेरे कार्यकाल में प्रदर्श पी 4 में अंकित भूमि रहन भार होने से किसी भी तरह से हस्तान्तरण अथवा पुनः रहन नहीं हुआ है क्यूंकि उक्त आराजी पूर्व से ही बैंक के पक्ष में भारग्रस्त थी। तहसील कार्यलय में नोड्यूज सर्टिफिकेट मेघराज ने प्रस्तुत किया किसी अन्य व्यक्ति ने प्रस्तुत किया ये मेरी जानकारी में नहीं है तथा कथित नोड्यूज सर्टिफिकेट न्यायालय पत्रावली में शामिल नहीं है।

गवाह पी0ड09 रामेश्वर पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि मैं वर्ष 2006 में गाम पंचायत मंडाप में सरपंच था। उस

"Authenticated Document"

समय मेघराज निवासी तेहरोली ने कहा कि बलराम हमारा पुराना ट्रेक्टर पौने दो लाख में ले रहा है और कह रहा है कि 75000 रूपये अभी बैंक में जमा कर दूंगा व मेघराज को नया ट्रेक्टर दिला दूंगा। बलराम किसकी एजेंसी पर काम करता था, वह कौनसा ट्रेक्टर बेचता था मुझे इसकी जानकारी नही है, मैं बलराम को नहीं जानता हूँ। मैं मेघराज को जानता हूँ। मेघराज ने मुझे और कुछ नहीं बताया। **अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर** गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिये, यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे पुछताछ करी हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी भाग में लिखे नाम पते मेरे ही है व सही है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का सी से डी भाग सही है एवं ई से एफ भाग मैने पुलिस को नहीं दिया। यह मैं नहीं बता सकता कि मेघराज के पिताजी ने पहले ट्रेक्टर लोन पर लिया हो। यह कहना गलत है कि मुझे मेघराज ने बताया हो कि बलराम मुझे दूसरा ट्रेक्टर लोन पर दिलाएगा। यह कहना गलत है कि मैं बलराम को जानता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम से मिलकर झूंठे बयान दे रहा हूँ। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मैं धीरेन्द्र खंडेलवाल उर्फ धर्मेन्द को नहीं जानता हूँ। मैं उसके पास कभी भी नहीं गया। फरियादी का पुराना ट्रेक्टर किस कम्पनी का था व नया ट्रेक्टर किस कंपनी का था मुझे याद नहीं है। मैं मेघराज के साथ कभी भी ट्रेक्टर कंपनी में नहीं गया। इस ट्रेक्टर कंपनी का कार्यलय किस स्थान पर है मुझे इसकी जानकारी नही है। इस ट्रेक्टर कंपनी का ऑफिस कहां है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं बलराम से कभी नही मिला। मेघराज ने न तो मेरे सामने लोन लिया व न ही मेघराज ने मेरे सामने कोई लोन जमा किया व न ही मेघराज ने मेरे सामने ट्रेक्टर लिया। पुराना ट्रेक्टर मेघराज और उसके भाई ने बेच दिया हो तो ये मेरी जानकारी में नहीं है।

गवाह पी0ड0 10 गणेशलाल पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपने

"Authenticated Document"

सशपथ बयानों में यह कथन किया कि मैं अक्टूबबर 2004 से मई 2006 तक भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद में शाखा सचिव के पद पर पदस्थापित रहा हूँ। मेरे कार्यकाल के दौरान मेघराज और नाथूलाल के ट्रेक्टर के लोन के भुगतान संबंध में बलराम यादव से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है व न ही किसी बलराम यादव ने बैंक ऋण के संबंध में ढाई लाख रूपये भुगतान किये। मुझे इस प्रकरण के संबंध में कुछ जानकारी नहीं है। मैं बलराम यादव को नहीं जानता हूँ। बलाम यादव किसी कंपनी का एजेंट था मैं यह भी नहीं जानता हूँ। **अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर** गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझसे पुछताछ करी हो या मेरे बयान लिये हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 नाम पते मेरे ही है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का सी से डी भाग सही है एवं ई से एफ भाग सही है। यह कहना भी गलत है कि भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद से मेघराज निवासी तेहरोली के ट्रेक्टर लोन के संबंध में कोई नोड्यूज जारी किया हो। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम बलराम से मिलकर झूंठे बयान दे रहा हूँ। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मैं भूमि विकास बैंक का शाखा सचिव था जो व्यवहार में मैनेजर ही कहलाता है। मेघराज का हमारे बैंक का कोई ऋण बकाया हो तो यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे एवं मेघराज के बीच दो लाख पचास हजार रूपये का भुगतान रजामंदी के माध्यम से जमा कराने की कोई बात नहीं हुई। मैं मेघराज को नहीं जानता हूँ। मैंने किन-किन व्यक्तियों व कितने व्यक्तियो के नोड्यूज जारी किये ये मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा नाथूलाल, मेघराज के लोन के संबंध में नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया हो। मेघराज, नाथूलाल नाम के व्यक्ति किस जाति के है, किस गांव के रहने वाले है और उनकी कृषि भूमि कहां स्थित है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। बलराम नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ व बलराम को कभी देखा हो तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि समय अधिक हो गया है। बलराम किस गांव का व

"Authenticated Document"

किस जाति का है ये मेरी जानकारी में नहीं है। मेरा कोई परिचित बलराम नाम का व्यक्ति नहीं है। मेरे कार्यकाल के दौरान बलराम नाम के व्यक्ति ने बैंक से संबंधित कोई फर्जीवाडा किया या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है, न ही इस बारे में मैंने आज से पहले सुना।

गवाह पी0ड011 राधेश्याम ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2002 से स्वास्थ्य कृषि केन्द्र कोटा प्रोपराइटर धीरेन्द्र उर्फ धनेन्द्र खण्डेलवाल के यहां काम करता है। वह पहले न्यू हॉलैंड ट्रेक्टर बेचते थे। सांगोद में हॉलैंड ट्रेक्टर को बेचने का काम बलराम करता था। बलराम ऐजेंसी का एजेंट थे, ट्रेक्टर बेचने का काम करता था व एजेंसी में आते जाते रहता था। करीब सोलह साल पहले की बात है। बलराम ने सांगोद से कोई भी पुराना ट्रेक्टर नये ट्रेक्टर के एवज में लाकर नहीं दिया और उसने आरजे 20 आर 7596 नंबर का ट्रेक्टर भी उसने धीरेन्द्र उर्फ धनेन्द्र खंडेलवाल के यहां लाकर नही दिया। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मैं बलराम को जानता हूँ। मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। किस व्यक्ति के ट्रेक्टर का मामला है मुझे कोई जानकारी नहीं है। न्यू हॉलैंड कम्पनी के ट्रेक्टर का मामला है। बलराम यादव हमारे यहां न्यू होलेण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर नही लाया। रघुवीर मेघराज को मैं नहीं जानता हूँ। मैं कम्पनी ने मैकेनिक पद पर कार्यरत था। मेरा कोई नियुक्ति का आदेश दिया हुआ नहीं था। बलराम का नियुक्ति का आदेश हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ।

गवाह पी0ड012 छोटूलाल वर्मा ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि 06 अक्टूबर 2006 से अगस्त 2007 तक तहसीलदार के पद पर तहसील सांगोद में पदस्थापित था। पुराना इंतकाल जो कि नाथूलाल का था जो कि तस्दीक किया हुआ था, उसके बाद में बैंक से सूचना मिली कि उक्त काश्तकार नाथूलाल पिता भैरू गुर्जर

"Authenticated Document"

निवासी तहरोई का इंतकाल था। पुलिस बयान प्रदर्श पी-12 के ए से बी भाग में लिखे खसरा नं. 185, 186, 189, 239, 308, 309, 340, 341 कुल हैक्टेयर कुल भूमि 4.69 दर्ज है। इंतकाल में जो पुराने इन्द्राज में नया इन्द्राज रहन का, फौती एवं विक्रय का भी इन्द्राज किया जाता है। इस भूमि पर रहन का इंतकाल का था। नोड्यूज सर्टिफिकेट के आधार पर पूर्व तहसीलदार श्री ओमप्रकाश शर्मा जी ने उक्त रहनमुक्ति के इंतकाल को तस्दीक किया था। बैंक से सूचना मिली कि खातेदार अप्रार्थी नाथूलाल के लड़के द्वारा ऋण नहीं चुकाया गया है। खातेदार नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी थी तो नाथूलाल के लड़को ने उक्त ऋण नहीं चुकाया था। जिसका पत्र सहकारी बैंक से प्राप्त हुआ था, जिसमें बैंक ने अवगत कराया था, कि उक्त ऋण द्वारा ऋण नहीं चुकाया गया है. अतः रहन यथावत रखा जाये। इसके बाद उसने अमल रोकने के आदेश पटवारी को दिये थे। पटवारी का नाम एवं हल्का तो वह भूल गया है। भूमि चहरोली गांव की थी, हल्का एवं पटवारी का नाम तो वह भूल गया है। इंतकाल के बाद अमल रोकने के आदेश उसके द्वारा दिये गये थे। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह सही है कि मयूटेशन/ इंतकाल की प्रति तो पत्रावली में शामिल नहीं है। यह सही है कि बिना इंतकाल, नकल देखे तो मैं यह नहीं बता सकता कि कौनसे खाते की, कौनसे खसरा की, कौनसे हल्के की, कौनसे गांव की एवं कौनसे काश्तकार की मयूटेशन थी। यह सही है कि रहन-मुक्ति का मयूटेशन मेरे द्वारा तस्दीक नहीं किया गया था। यह सही है कि मेरे द्वारा उक्त जमीन को पुनः रहन दर्ज करने का मयूटेशन भी तस्दीक नहीं किया गया था, स्वयं कहा कि अमल रोकने का आदेश दिया था। यह सही है कि इस प्रकरण में मेरे पूर्व में कोई बयान नहीं हुए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिये हो स्वयं कहा कि पुलिस में मेरे बयान लिये थे। यह सही है कि नोड्यूस सर्टिफिकेट इस पत्रावली में शामिल नहीं है। उक्त नोड्यूस सर्टिफिकेट सहकारी बैंक द्वारा जारी किया गया था। बैंक ने

"Authenticated Document"

उक्त नोड्यूस सर्टिफिकेट कौनसी तारीख को जारी किया था यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण की पत्रावली में मेरा हस्ताक्षरशुदा तो कोई पत्रादि नहीं है। यह सही है कि उक्त ऋण नहीं चुकने बाबत बैंक सम्बन्धी मुझे दी कोई सूचना तो पत्रावली में नहीं है। यह मैं नहीं बता सकता कि पुलिस ने मेरे कहे अनुसार ही बयान दर्ज किये थे अथवा नहीं स्वयं कहा कि चूंकि बारह साल बीत गये है इसलिये नहीं कह सकता। स्वयं कहा कि इंतकाल का अमल रोकने का आदेश जो मेरे द्वारा दिया गया था वह पत्रावली में नहीं है। अमल रोकने के बाद मेरे द्वारा बैंक को कोई पत्र भेजा गया हो तो यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि इस बाबत कोई पत्र तो पत्रावली में शामिल नहीं है। यह सही है कि तत्समय कौन बैंक मैनेजर थे, कौन कानूनगो थे एवं कौन पटवारी थे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण के पुलिस जांच अधिकारी द्वारा मुझ तो प्रकरण के कोई रहनमुक्ति प्रमाण पत्र, नोड्यूस सर्टिफिकेट, मयूटेशन, जमाबंदी आदि राजस्व रिकार्ड प्राप्त नहीं किये गये थे। इस प्रकरण में ट्रेक्टर या राशि के सम्बन्ध में कोई अपराध दर्ज हुआ हो तो यह मेरी जानकारी नहीं है। फरियादी के साथ ट्रेक्टर हड़पने या रकम हड़पने बाबत् कोई शिकायत मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई हो यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि ऐसी कोई शिकायत पत्रावली में शामिल नहीं है। यह मेरे ध्यान में नहीं है कि किस मैनेजर द्वारा किस तारीख को रहन मुक्ति के इंतकाल का अमल रोकने का प्रार्थना पत्र दिया था। यह सही है कि विवादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर तो मुझे याद नहीं है। यह मुझे नहीं पता कि पीडित परिवादी अमल रोकने सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र मेरे पास लाया था अथवा नहीं स्वयं कहा कि बारह साल बीत गये है इसलिये मुझे याद नहीं है। यह मुझे नहीं पता कि भूमि विकास बैंक एवं सहकारी बैंक दोनों अलग-अलग होते हो स्वयं कहा कि यह तो बैंक वाले जाने।

गवाह पी0ड013 महिपाल सिंह ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन

"Authenticated Document"

किया है कि वह 21 अप्रेल 2007 से 30 सितम्बर 2007 तक भूमि विकास बैंक, सांगोद में शाखा सचिव के पद पर कार्यरत था। दिनांक 08.06.2007 को बैंक के डिफाल्टर ऋणी श्री नाथूलाल आत्मज भैरूलाल गुर्जर ग्राम तहरोली के सम्बन्ध में पुलिस ने उसकी पत्रावली एवं खाते की जानकारी चाही थी जो कि उपलब्ध करवा दी गई थी। दिनांक 31.03.2005 के अवधि पार के अनुसार उसकी तरफ चार लाख अड़तीस हजार रूपये से अधिक राशि अवधि पार बकाया थी। दिनांक 04.09.2008 को पुलिस ने उसके बयान लिये थे जो दिये गये थे जिसके अनुसार नाथूलाल को बैंक से कोई नो-ड्यूस जारी नहीं हुआ था क्योंकि उसकी तरफ कॉफी बड़ी राशि बकाया थी, विज्ञान नगर थाने वालों को उसने पूर्व में ही उनके चाहे जाने पर समस्त दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह सही है कि मैंने जो दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध करवाये थे वह पत्रावली में शामिल नहीं है स्वयं कहा कि उसके बाद के दस्तावेज शामिल है स्वयं कहा कि मैं तो 21 अप्रेल 2007 से 30 सितम्बर 2007 तक शाखा सचिव के पद पर कार्यरत था। यह सही है कि दिनांक 30.09.2007 से पूर्व ही दिनांक 08.06.2007 को पुलिस ने मुझसे दस्तावेज प्राप्त कर लिये थे। यह सही है कि यह उक्त दस्तावेज पत्रावली में नहीं है स्वयं कहा कि यह मुझे आज ध्यान नहीं है कि उस समय मैंने पुलिस को क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाये थे। यह कहना गलत है कि 30.09.2007 से पूर्व ही पुलिस ने मुझसे बयान लिये थे। स्वयं कहा कि पूर्व में भी लिये थे एवं 04.09.2008 को भी पुलिस ने मेरे बयान लिये थे स्वयं कहा कि मेरे दो बार बयान लिये थे। मैं बलराम को नहीं जानता। मैं नाथूलाल को जानता था स्वयं कहा कि नाथूलाल के बेटे को भी जानता था। मेरी जानकारी में आया था कि बलराम ने एक नोड्यूज प्रमाणपत्र जारी किया था। तहसील में मैंने जाकर देखा तो जानकारी में आया तहसील से एक भारमुक्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ है जिसके बारे में तहसील से पूछा गया

"Authenticated Document"

तो उन्होंने एक नो-ड्यूस प्रमाण पत्र दिखाया था जो मेरी बैंक से जारी नहीं हुआ था, उस पर श्री गोबरीलाल योगी से मिलते जुलते हस्ताक्षर करने की कोशिश की गई थी, प्रमाण पत्र प्रथम दृष्ट्या ही जाली था क्योंकि उसका हमारी बैंक से जारी होने वाले प्रमाण पत्र से कोई मिलान नहीं था। मुझे उक्त नो-डूयूस प्रमाण पत्र, भारमुक्ति प्रमाण पत्र इस पत्रावली में नहीं दिखे। जाली प्रमाण पत्र जारी होने की बात जानकारी में आने के बाद मैंने तहसील को पत्र लिखा था। यह कहना सही है कि मैंने स्वयं ने तो व्यक्तिगत रूप से प्रकरण मुलजिम के विरूद्ध दर्ज नहीं करवाया था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि बैंक ने मुलजिम के विरूद्ध पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज करवाया था या नहीं स्वयं कहा कि इसका अधिकार तो मुख्य कार्यकारी बैंक हैड़ ऑफिस को होता है। यह सही है कि बैंक शाखा सांगोद द्वारा तो प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया था। यह सही है कि हस्ताक्षरों की पहचान किये जाने के सम्बन्ध में मैंने कोई कोर्स या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है स्वयं कहा कि हमारे बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के हस्ताक्षरों को तो मैं पहचानता था। अभियुक्त के खाते की वर्तमान स्थिति की जानकारी मुझे आज नहीं है स्वयं कहा क्योंकि मैं तो वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हो चुका हूं। यह सही है कि मैंने बलराम को कभी नहीं देखा, उसकी आयु, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम मुझे नहीं पता। तहसील के अधिकृत द्वारा मुझे बताये जाने पर मैंने बलराम के बारे में बताया था। तहसील में मुझे रीडर के पद पर कार्यरत व्यक्ति ने बलराम का नाम बताया था, रीडर के पद पर कौन, किस नाम के व्यक्ति कार्यरत थे यह मुझे अब याद नहीं है। यह सही है कि मैंने स्वयं ने तो बलराम को फर्जी नो-डूयूस बनाते हुए नहीं देखा। यह मुझे नहीं पता कि तहसील के उक्त रीडर का नाम भी बलराम हो। यह सही है कि उक्त आराजी उक्त इस नोड्यूज के आधार पर भारमुक्त हो गई थी। यह सही है कि मेरे समक्ष तो ट्रेक्टर एवं राशि का कोई लेन-देन नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि भूमि विकास बैंक पुराना

"Authenticated Document"

ट्रैक्टर लेकर नया ट्रैक्टर नहीं देता है।

गवाह पी0ड014 देवीशंकर ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक जून 2007 को बैंक हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्दनपुर में संदेश वाहक के पद पर कार्यरत था। उसके सामने बैंक मैनेजर श्री गजानंद जी मीणा ने कुछ दस्तावेज जो कि नाथूलाल पुत्र भैरूलाल निवासी तहरोली से सम्बन्धित थे, को पुलिस को जप्त करवाया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-13 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस थाना विज्ञान नगर में थाने की पुलिस को उसी बैंक के केशियर किशनलाल गोयल ने गजानंद जी बैंक मैनेजर द्वारा जारी एक लेटर जप्त करवाया था. जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह सही है कि जो दस्तावेज जप्त करवाया गया था वह पत्रावली में आज नहीं है। यह मुझे याद नहीं है कि उस दस्तावेज में क्या लिखा था। यह सही है मैंने उस उक्त दस्तावेज को नहीं पढ़ा था इसलिये नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। यह सही है कि उक्त दस्तावेज कितने पृष्ठ में था यह भी मैंने नहीं गिने थे। जब दस्तावेज प्रदर्श पी-14 को जप्त किये गये थे उस समय मेरे अलावा वहां पर छीतरलाल जी निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद के मौजूद थे। इनके अलावा मैनेजर सा. भी मौजूद थे। यह सही है कि इनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था स्वयं कहा कि पुलिस वाले मौजूद थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-14 एवं पी-13 पर मैंने पढ़कर हस्ताक्षर किये हो स्वयं कहा कि बिना पढे हस्ताक्षर किये थे।

गवाह पी0ड015 राजेश कुमार ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 24.09.2008 को पुलिस थाना सांगोद में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, उस दिनांक को श्री कैलाशचंद उपनिरीक्षक द्वारा प्रकरण सं. 50/2008

"Authenticated Document"

अन्तर्गत धारा 420, 406 आईपीसी पुलिस थाना सांगोद में एक ट्रेक्टर पावर टेक बिना नम्बरी के करीब सात असल दस्तावेज भूमि विकास बैंक से सम्बन्धी उसके सामने जप्त किये थे। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उन दस्तावेजों में ट्रेक्टर खरीदने के बिल व रहननामा, अधिकार-पत्र, केश-मेमो आदि शामिल थे। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना गलत है कि उक्त जप्तशुदा दस्तावेजों को मैंने पढ़ा हो स्वयं कहा कि इन्हें जप्त करते हुए देखा था। इन दस्तावेजों के निष्पादक भूमि विकास बैंक के अधिकारी थे जिन्हें कैलाशचंद जी उपनिरीक्षक को पेश किये थे जो कि मेरे सामने जप्त किये गये थे। इस बारे में मैं यह नहीं बता सकता कि जप्तशुदा दस्तावेजों का अभियुक्त से कोई सम्बन्ध एवं अंकन है अथवा नहीं स्वयं कहा कि ये तो आई.ओ. बता सकते है। मैं पत्रावली देखकर बता सकता हूं कि उक्त दस्तावेजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है अथवा नहीं। पत्रावली देखकर बताया कि उक्त दस्तावेजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-15 पर दस्तावेजों ट्रेक्टर खरीदने के बिल व रहननामा, अधिकार-पत्र, केश-मेमो आदि के सम्बन्ध में लिखा हुआ है। जप्ती के समय, वहां पर गोबरीलाल नाम के एक फील्ड ऑफिसर कर्मचारी मौजूद था। इनके अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने वाले बैंक अधिकारी श्री सज्जन सिंह जी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे।

गवाह पी0ड016 गिरिराज प्रसाद सोनी ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह सांगोद में 2007 से 2011 तक कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक सांगोद में केशियर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2007 में पुलिस को श्री सज्जन सिंह मैनेजर साहब द्वारा अवकाश आवेदन व निरस्त आवेदन व कार्यालय आदेश पेश किये थे जो पुलिस ने उसके सामने जब्त किये थे और श्रवण कुमार जी वहां उपस्थित थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 है जिस पर सी से सी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह

ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मैंने नहीं पढ़ा था कि उसमें क्या लिखा है। आज भी मैं यह नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा है। पुलिस के द्वारा मुझे प्रदर्श पी-3 पढकर नहीं सुनाया गया था और आगे इस मामले में क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

गवाह पी0ड017 श्रवणलाल ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह सांगोद में 2007 में कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक सांगोद में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2007 में पुलिस को श्री सज्जन सिंह मैनेजर साहब द्वारा अवकाश आवेदन व निरस्त आवेदन व कार्यालय आदेश पेश किये थे जो पुलिस ने उसके सामने जब्त किये थे और वहां पर गिरराज प्रसाद सोनी उपस्थित थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 को मैंने हस्ताक्षर करने से पहले नहीं पढ़ा था और न ही पुलिस ने इसे मुझे पढ़कर सुनाया और इसमें क्या लिखा हुआ है यह भी मुझे नहीं पता है।

गवाह पी0ड018 सियाराम ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2007 की बात है, तारीख उसे याद नहीं है। सर्दी का समय था। थाना विज्ञान नगर की पुलिस को किशनलाल गोयल ने आदेश दस्तावेज पुलिस को दिये थे जिनको पुलिस ने जब्त कर पुलिस ने फर्द जब्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि फर्द जब्ती को मैंने हस्ताक्षर करने से पहले नहीं पढ़ा था और न ही पुलिस ने इसे मुझे पढ़कर सुनाया और इसमें क्या लिखा हुआ है यह भी मुझे नहीं पता है।

गवाह पी0ड019 परमेश्वर प्रसाद ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन

"Authenticated Document"

किया है कि वह दिनांक 18.09.2007 को थाना विज्ञान नगर पर कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन सत्यनारायण ए०एस०आई० के साथ बूंदी सदर थाने पर गये। वहां बलराम पुत्र देवकरण को उसके व रविन्द्र कानि० के सामने जर्ये फर्द गिरफतारी गिरफतार किया गया। उस समय करीब 1:00 पीएम था। मुकदमा न० 107/2007 धारा 420, 406 आईपीसी थाना विज्ञान नगर में गिरफतार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 16 है। जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मुल्जिम को न तो मैं गिरफ्तारी के पहले जानता था न ही आज जानता हूं। मुल्जिम हमने बूंदी सदर थाने से गिरफ्तार किया था। उस वक्त मुल्जिम अन्य प्रकरण में पूर्व से ही गिरफ्तार था। अलग से बलराम की कोई पहचान नहीं कराई। मुल्जिम के सदर थाने बूंदी के पूर्व की गिरफतारी वाले प्रकरण के बारे में थानाधिकारी सदर बूंदी ने मुल्जिम की कोई रसीद दी हो तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, आईओ बता सकता है। मुल्जिम की लंबाई 5 फुट 6 इंच की थी। थाना होने की वजह से स्वतंत्र गवाह नहीं करवाये गये और न ही स्वतंत्र गवाह लाने का कोई प्रयास किया गया। मुल्जिम ने वक्त गिरफ्तारी कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, पेंट शर्ट में क्या पहन रखा था और किस रंग के कपडे पहन रखे थे यह मेरी जानकारी में नहीं है। मुल्जिम का बदन गिरफ्तारी के पूर्व कपडे हटाकर चैक नहीं किया। मुल्जिम ने पैरों में जूते या चप्पल पहन रखे थे या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है। मुल्जिम के किन कपडों में तलाशी ली यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन मुल्जिम के पास कोई वस्तु जब्त नहीं हुई। मुल्जिम के पास से कोई डायरी जब्त नहीं हुई।

गवाह पी०ड० 20 विशाल अवस्थी ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 24.09.2007 को थाना विज्ञान नगर में कानि० के पद पर पदस्थापित था। मुकदमा नम्बर 109/2004 अपराध धारा 420, 406 आई पी सी में

"Authenticated Document"

एक डायरी बलराम ने पेश की थी। नासिर कानि० उस समय उपस्थित था। श्री हनुमान सिंह ए.एस. आई ने जप्त की थी जिसे बलराम ने पेश किया था। जिसमें टेक्टर के संबंध में लिखा पढ़ी थी। 8 मार्च व 10 मार्च 2006 के पन्ने फटे हुए थे और डायरी का कवर उपर से फटा हुआ था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि मैं मुल्जिम को पहले से नहीं जानता था। मैं मुल्जिम को नहीं पहचानता। मैं मुल्जिम को पहचान सकता हूं। जप्ती के पूर्व मैंने मुल्जिम की आई डी. नहीं देखी। मैं आज नहीं बता सकता कि आई.ओ. ने जप्ती के पूर्व मुल्जिम की आई.डी. देखी हो। डायरी में सफेद कागज थे ऊपर का कवर फटा हुआ था। डायरी में क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ा, ट्रेक्टरों के बारे में लिखा हुआ था। कौनसी कंपनी और कितने ट्रैक्टरों के बारे में लिखा था यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैने ट्रैक्टर नहीं देखा। डायरी का साईज मुझे पता नहीं है। डायरी में किसी का नाम लिखा हुआ था या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। डायरी आज हाजिर अदालत नहीं है। डायरी में कितने पेज थे मेरी जानकारी में नहीं है। डायरी में क्या इबारत लिखी थी मुझे जानकारी नहीं है। डायरी में तारीख लिखी हुई हो तो मैंने नहीं पढ़ी। डायरी में 8 मार्च व 10 मार्च 2006 के पन्ने फटे हुए थे। शेष पन्ने दुरूस्त हालत में थे वो कौन-कौनसी तारीख के थे पता नहीं थे लेकिन 2006 के थे। कुल कितने पन्ने थे यह भी मुझे जानकारी नहीं है और उनमें क्या लिखा था यह भी मैंने नहीं पढ़ा। मुल्जिम उस समय गिरफ्तारी में था पुलिस के अण्डर में था।

गवाह पी0ड021 हेमराज ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 25.12.2007 को थान विज्ञान नगर पर कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 109/2007 धारा 420,406,467,468,471 आईपीसी में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हनुमान सिंह जी ने उसके व नासिर हुसैन जी के सामने

"Authenticated Document"

मुख्यालय अवकाश आवेदन गजानंदी मीणा द्वारा पेश किया था जिसको पुलिस ने जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसे थाने पर ही पेश किया था। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि ये सही है कि मेरे समक्ष जब्त किया गया उपरोक्त दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं है। यह सही है कि जब्ती के पूर्व उक्त जब्तशुदा दस्तावेज एसआई साहब ने मुझे नहीं दिखाया। मैं उस दस्तावेज को देखकर पहचान नहीं सकता।

गवाह पी0ड022 रामकिशन ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 18.12.2007 को थाना सांगोद पर कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा सांगोद के पत्र कमांक 244 दिनांक 03.08.2006 को प्रकरण संख्या 109/2007 धारा 420,406 आई पी सी थाना विज्ञान नगर में श्रवण लाल एएसआई द्वारा पेश करने पर उसके सामने जर्ये फर्द जब्ती प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने जब्त किया थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि जब्तशुदा दस्तावेज को मैं पहचान सकता हूं। मूल जब्तशुदा दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं है अज खुद इसकी प्रमाणित फोटो प्रति पत्रावली में शामिल है। जब्तशुदा दस्तावेज नाथू खातेदार का है। मैंने दस्तावेज पढ़ा था आज याद नहीं है दस्तावेज देखकर बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि उन्होंने फोटो प्रति दी हो बल्कि मूल दिया था।

गवाह पी0ड023 कैलाश चंद ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 19.09.2008 को थाना सांगोद पर एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मुकदमा नं 50/2008 अंतर्गत धारा 420, 406 का अनुसंधान एसएचओ सांगोद द्वारा बृजेश मीणा एसआई से उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसंधान

"Authenticated Document"

उसने धनेन्द्र खण्डेलवाल, सुरेश कुमार, भंवरलाल, राधेश्याम लेखराज गणेशीलाल, गजानंद, गोबरीलाल, रामेश्वर, बालमुकुंद, छोटूलाल इत्यादी के लिये जाकर लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। थाना विज्ञान नगर से एफआईआर सख्या 109/2007 की पत्रावली व रिकॉर्ड लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 24.09.2008 को उसके द्वारा गवाह राजेश कुमार व गोबरीलाल की उपस्थिति में सज्जन सिंह ने भूमि रिकॉर्ड व टेक्टर के असल दस्तावेज उसके समक्ष पेश किया था जिनकों उसने फर्द जब्ती जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जिसमें कुल 7 दस्तावेज थे। असल केश मेमों प्रदर्श पी-20 है, असल बिल प्रदर्श पी 21 है, असल रेड स्वीकृति लैटर प्रदर्श पी 22, असल कंपनी से ली जाने वाली रसीद प्रदर्श पी 23 है, अधिकार पत्र प्रदर्श पी 24, कृषि उपयोगी वस्तुओं का बंद कल्प प्रदर्श पी 25, असल रहननामा प्रदर्श पी 26 है, रिमांड फार्म एफआईआर नं 109/2007 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 27 है जिसमें कुल 11 पृष्ठ है ये सभी प्रदर्श शामिल पत्रावली है। उसने थाना विज्ञान नगर में दर्ज एफआईआर संख्या 109/2007 अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी का संपूर्ण रिकॉर्ड व अनुसंधान में आए साक्ष्य से अभियुक्त बलराम के विरूद्ध अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द की थी। थाना विज्ञान नगर द्वारा भी उक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित माना था परन्तु उन्होंने गैर इलाका में एफआर पेश की थी। थानाधिकारी रामनिवास गुर्जर ने उक्त धाराओं ने आरोप पत्र कता कर नतीजा न्यायालय में पेश किया था। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह बात सही है कि मेरे द्वारा जब्तशुदा दस्तावेज प्रदर्श पी 20 से 26 एवं प्रदर्श पी 27 व प्रदर्श पी 15 में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त ने फरियादी से 1,75,000

"Authenticated Document"

रूपये पुराने ट्रेक्टर की कीमत तय करना और 75000 रूपये अभियुक्त द्वारा नगद प्राप्त करना सिद्ध होता हो। यह सही है कि मेरे अनुसंधान में प्रदर्श पी 20 से 26 एवं प्रदर्श पी 27 व प्रदर्श पी 15 में रहननामे का नोट हटने वाली जमाबंदी व बैंक नोड्यूज मेरे सामने नहीं आया।

गवाह पी0ड024 संजीव स्वामी ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.2008 को पुलिस थाना सांगोद पर थाना अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन जरिए डाक श्रीमान् एसपी साहब कोटा ग्रामीण प्रकरण संख्या 109/07 धारा 420,406 आईपीसी थाना विज्ञान नगर कोटा की पत्रावली मय एफआर न० 21/08 दिनांक 18.02.08 अदम वकू इलाका गैर की पत्रावली धारा 154, 3 सीआरपीसी की प्रार्थी मेघराज पुत्र नाथूलाल गूर्जर निवासी थेरोली की थाने पर कायमी हेतू थाने पर प्राप्त हुई जिसपर प्रकरण संख्या 50/08 धारा 420,406 आईपीसी में दर्ज कर तफतीश श्री लखन लाल एसआई के सुपुर्द की थीं। चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी-20 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण प्राप्त प्रदर्श पी-30 है जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन और सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि पत्र के साथ मूल पत्रावली थाना विज्ञान नगर की प्राप्त हुई थी। इस पत्रावली में होलेन्ड कम्पनी के ट्रेक्टर को धोखाधड़ी से खुर्दबुर्द करने का आरोप बलराम यादव निवासी ओंकारपुरा जिला बूंदी पर था। ट्रेक्टर को बेचने संबंधित पत्रावली में कोई दस्तावेज थे या नहीं मुझे याद नहीं है। पत्रावली के अनुसार ट्रेक्टर का मालिक कौन था यह मुझे जानकारी में नहीं है। यह आईओ बता सकता है। मैंने तो एफआईआर दर्ज की थी। मैंने मूल पत्रावली थाना विज्ञान नगर का अवलोकन किया था। मुझे अब ध्यान नहीं कि पत्रावली के अनुसार होलेन्ड ट्रेक्टर को किस व्यक्ति द्वारा किस व्यक्ति को बेचा गया था। अब मुझे याद नहीं है कि

"Authenticated Document"

पत्रावली में बलराम के द्वारा जो ट्रेक्टर खुर्दबुर्द किया गया वो होलेन्ड कम्पनी का था या अन्य कम्पनी का था। ट्रेक्टर बेचने संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली में हो मुझे याद नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता कि पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज एफआईआर दर्ज करते वक्त मौजूद हो जिससे बलराम के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित होता हो। यह बात सही है कि मैंने तो एसपी साहब के आदेशानुसार अक्षरशः एफआईआर दर्ज की थी।

गवाह पी0ड025 बृजेश कुमार मीणा ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.07.2008 को थाना सांगोद पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन उसे थाना अधिकारी द्वारा मुकदमा नम्बर 50/08 धारा 420,406 आईपीसी थाना सांगोद की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतू सूपूर्द की थी। उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान गवाह रघुवीर, रामकुमार, महावीर, नरेश, सज्जनसिह महिपाल, शाकिर और मुखतार के बयान 161 सीआरपीसी उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए थे। तत्पश्चात उसका स्थानातरण होने पर पत्रावली थाना अधिकारी को सुपूर्द की थी। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि होलेण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर था। मैंने कोई नोटिस नहीं दिया था। मेरे द्वारा प्रकरण में केवल गवाहों के बयान लेखबद्ध किये थे।

गवाह पी0ड026 लखनलाल ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 04.04.2008 को पुलिस थाना सांगोद पर एसआई के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 50/08 धारा 420, 406 आईपीसी का अनुसंधान थाना अधिकारी संजीव स्वामी द्वारा उसके जिम्मे किया था। दौराने अनुसंधान फरियादी मेघराज पुत्र नाथूलाल हर के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गए। उसके बाद उसका स्थानांतरण पुलिस थाना कनवास में हो गया था। पत्रावली एसएचओ साहब को

"Authenticated Document"

सूपूर्द कर कनवास चला गया था। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि यह कहना सही है कि मैंने एक बयान लिया था फरियादी के 161 के बयान लिए थे इसके अतिरिक्त मैने और कोई बयान नहीं लिए। इसके बाद मैंने फाईल एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी थी।

गवाह पी0ड027 रविन्द्र त्यागी ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 18.09.2007 को थाना सदर बूंदी पर कानि० चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 109/2007 धारा 420, 406 में थाना विज्ञान नगर कोटा से आईओ, हनुमान सिंह एएसआई ने समक्ष उक्त मुकदमें में बलराम यादव पुत्र देवकरण यादव को उसके सामने गिरफतार किया था फर्द गिरफातारी प्रदर्श पी-16 है जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी बलराम के हस्ताक्षर है। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि इस अभियुक्त को में पहले से जानता था। इसका थाना इलाके में गांव था। इसको हनुमान सिंह एएसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो थाना सदर जिला बूंदी में गिरफतारी की गई थी। गिरफतारी के समय अभियुक्त का पहचान पत्र आईओ साहब ने देखा होगा मुझे जानकारी में नहीं है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के समय कोनसे कपडे पहन रखे थे आज मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे सामने तो गिरफतारी हुई थी। थाने पर वो लाए हो मुझे जानकारी में नहीं है। मुलजिम को उसके गांव ओंकारपुरा में गिरफतार किया हो और पुलिस वाले बूंदी थाने में लेकर आए हो यह मुझे जानकारी में नहीं है। इस प्रकरण में बूंदी सदर थाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। पुलिस वाले मुलजिम को बूंदी थाने में किस कारण लेकर आए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे सामने कोई स्वतंत्र गवाहों को बुलाने की कार्यवाही नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि बूंदी सदर थाना मुख्य सडक पर ही है और उस सडक पर राहगीरों का आवागमन बना रहता है। इस प्रकरण में आईओ साहब ने मुझे

"Authenticated Document"

गवाह बनने के लिए कोई तहरीर जारी नहीं की थी। यह कहना सही है कि ट्रेक्टर के लेन देन और धोखाधड़ी के केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह धोखाधड़ी का मामला सांगोद के ट्रेक्टर मालिक का था। किसके साथ धोखाधडी मुझे नाम याद नहीं है। यह सब जानकारी मुझे अनुसंधान अधिकारी ने थाने पर दी थी।

गवाह पी0ड028 लेखराज ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि वह वर्ष 2006 से धनेन्द्र खंडेलवाल स्वास्तिक कृषि केंद्र नाम से न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी में उनके यहां काम करता था। बलराम यादव सांगोद में धनेन्द्र जी की एजेंसी यहां से न्यू हॉलेंड टेक्टर बेचने का काम करते थे। आज से करीब 17-18 साल पहले की बात है। बलराम जी ने धनेन्द्र जी को एक शपथ पत्र टेक्टर बेचने के लिए दिया था जो नोटेरी भी हुआ था। सांगोद में टेक्टर बेचान संबंधी पैसे के लेनदेन की जिम्मेदारी बलराम जी यादव की थी। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए। प्रदर्श डी 1 में ए से बी भाग मैने पुलिस को बयान नहीं दिए। स्वयं कहा कि मैं कोटा स्वास्तिक कृषि केंद्र कोटा गुमानपुरा में चाय-पानी पिलाने का काम करता था। समय पर आता था समय पर जाता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बलराम सांगोद में कंपनी की ओर से ट्रेक्टर बेचता हो और शोरूम पर आकर ट्रेक्टरों की खरीद फरोख्त करता हो या लाता ले जाता हो। मेरे सामने मुल्जिम बलराम ने कोई शपथ पत्र आलेखित नहीं किया और न ही नोटेरी से तस्दीक कराया। इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

गवाह पी0ड029 महावीर ने अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया है कि 16 या 17 साल पूर्व की बात है। वह ड्राईवर का काम करता था। वह अपने गांव तेराली में मेघराज के पास टेक्टर चलाता था। उसके पास पॉवर टैक्टर था। मेघराज ने

अपना पॉवर टेक्टर फटाकर बलराम यादव से नया टेक्टर लिया था जो होलेण्ड कम्पनी का था। टेक्टर करीब सवां लाख के लमशन कटाया था, अभी उसे ठीक से याद नहीं है। अगर मेघराज ने टेक्टर के लिए नकद रकम दी तो वह उसके सामने नहीं दी। उसने यह टैक्टर हॉलेंड को मेघराज के यहाँ 12 माह तक चलाया था। एक दिन सरसों भरकर कोटा लेकर गया जो भामाशाह मण्डी में सरसों भरकर लेकर गया था। उनके साथ में एक कुंदनपुर का नरेश भी था। फिर वह भामाशाह मंडी में सरसों खाली करके ट्रेक्टर को मिस्त्री के पास लेकर गया था, फिर वहां कंपनी वाले आये और ट्रेक्टर को लेकर चले गये। उस समय वह वहीं था, उसने मना किया था कि टेक्टर को क्यों ले जा रहे हो। फिर उसे भी कंपनी में पकडकर ले गये। फिर मेघराज कम्पनी आया और उसे छुडाकर कर वापिस लाया। मिस्त्री के यहां से उनके टैक्टर की दूसरे टेक्टर से टोचन करके लेकर गए थे। वो लोग जीप लेकर आए थे। उसने सारी घटना मेघराज को बता दी। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि जब हम तेरोली गांव से कोटा अनाज मण्डी में ट्रैक्टर-ट्रोली से गए तो मेरे साथ नरेश पुत्र जयराम जति गुजर निवासी कुन्दनपुरा वाला भी मेरे साथ था। हम दोनों के अलाववा अन्य कोई नहीं था। तेहराली से कोटा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, हमारे गांव से कोटा जाने में करीब ढाई घंटे का समय लगता है। वक्त घटना मेघराज ग्राम तेरोली में ही था, कोटा में हमारे साथ नहीं था। नरेश मंडी में ही रूक गया था उसको कम्पनी वाले साथ लेकर नहीं गए। हम गांव में जल्दी सुबह करीब 3 बजे रवाना हुए थे और सुबह 5 बजे मंडी में पहुंच गये थे। यह बात सही है कि जिस वक्त कंपनी वाले ट्रेक्टर को टोचन करके मेरे साथ कम्पनी में लेकर गए उस वक्त मेघराज घटनास्थल पर नही था बल्कि गांव तेरोली में ही था। यह कौनसी कम्पनी की जी थी, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन उसमें तीन से चार लोग बैठकर आए थे। कम्पनी वालों ने मेरे साथ धमकाया था कि आपको तो चलना पडेगा लेकिन किसने

"Authenticated Document"

धमकाया था उनके नाम पता मैं नहीं जानता। ना तो मैं बलराम को पूर्व से जानता था और ना ही आज पहचानता हूँ। लेकिन मैंने बलराम को देखा था वह गांव में आता जाता रहता है वह 15 से 16 साल पहले देखा था। यह सही है कि फरियादी और मुलजिम के बीच मेरे सामने कोई लेन देन नहीं हुई, ना ही मेरे सामने कोई राशि ली। ट्रेक्टर के लेन देन का सौदा मेरे सामने नहीं हुआ, ना तो बलराम ने पुराना ट्रेक्टर मेघराज से मेरे सामने लिया और ना ही बलराम ने नया ट्रेक्टर मेघराज को दिया।

नोटः- प्रकरण में दौराने विचारण परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा0दं0सं0 में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अपराध अंतर्गत धारा 467, 468, 471 भा0दं0सं0 का विचारण शेष रहने से उक्त अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का ही विवेचन किया जा रहा है।

इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन व विश्लेषण किया जाए तो न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट प्रकट आता है कि हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी मेघराज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर हुआ है जिसमें उसके द्वारा मुख्यतः यह बताया है कि मेरे पिता नाथूलाल के नाम से एक ट्रेक्टर नंबर आर जे 20 आर 7596 पावरट्रेक रजिस्टर्ड था जिसे कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा सांगोद से लोन द्वारा सन 2000 में क्रय किया था। ट्रेक्टर के पेटे राशि जमा कराने के बाद सन 2005 में 2.80 लाख रूपये बकाया थे। इसी बीच प्रार्थी ने दूसरे ट्रेक्टर हॉलेण्ड 3230 खरीदने की इच्छा जाहिर की जिस पर उक्त एजेन्सी के एजेन्ट बलराम यादव द्वारा बैंक में ऋण भुगतान बाबत् वार्ता होने पर बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा उक्त ऋण के एवज में 2.50 लाख रूपये भुगतान किये जाने पर रजामंदी हुई व हॉलेण्ड ट्रेक्टर के एजेन्ट बलराम यादव ने मेरे पुराने ट्रेक्टर की कीमत 1.75 लाख रूपये तय की

"Authenticated Document"

तथा 75 हजार रूपये नकद राशि देना तय हुआ जो प्रार्थी ने बलराम यादव को सौंप दी व जिस पर बैंक द्वारा नोड्यूज जारी हुआ और प्रार्थी की भूमि खेरोली गांव के खाते में दर्ज रहननामे का नोट भी तहसीलदार सांगोद के आदेश से पटवारी द्वारा हटा दिया गया। बाद में जानकारी करने पर पता लगा कि बैंक में कोई भी राशि जमा नहीं करवायी गयी थी एवं तहसील कार्यालय सांगोद से भी मेरे खाते की आराजी पर पुनः अनुबन्धित का नोट दर्ज करा दिया जबकि पूर्व में बैंक द्वारा नोड्यूज जारी होने पर ही उक्त आराजी को ऋण भार से मुक्त होने का इन्द्राज दर्ज हो चुका था। उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के संबंध में अभियोजन द्वारा परिवादी मेघराज पी0 डब्ल्यू02 परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में भी यह कथन किए हैं कि मेरा पुराना ट्रेक्टर सन 2000 में मेरे पिताजी नाथूलाल जी ने लिया था जो जमीन को रहन रखकर भूमि विकास बैंक से लोन पर लिया था व बलराम के कहने पर मैंने मेरा ट्रेक्टर और 75 हजार रूपये उसे दिए थे जिसके बदले उसने एक नया ट्रेक्टर दिलवाया था यह कहकर कि तेरे बैंक में पुराने वाले ट्रेक्टर का पैसा जमा करा देगा और नये ट्रेक्टर पर लोन पास करवा लेगा। मैंने ट्रेक्टर के कागज मांगे तो बलराम ने मना कर दिया और बाद में भी कोई कागज नहीं दिए। तत्पश्चात् मेरे उक्त नये ट्रेक्टर को हॉलेण्ड कंपनी वाले ले गये। गवाह द्वारा अपनी जिरह में इस तथ्य की ताईद की है कि मैंने नया ट्रेक्टर करने से पूर्व जमाबंदी, गिरदावरी व नक्शे की नकल नहीं निकलवाई थी बल्कि मुलजिम ने निकलवाई थी। पटवारी ने मुझे फोन किया था जिस पर मैंने कहा था कि नकलें दे दो। पटवारी ने मुझे बताया था कि जमीन रहन से मुक्त हो गई है और मेरे पास नोड्यूज आ गया है और पटवारी ने मेरी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से पुराने ट्रेक्टर का ऋण का नोट हटा दिया था। फिर भूमि विकास बैंक में जाकर पूछा तो बैंक वालों ने बताया कि तेरे कोई पैसे जमा नहीं हुए हैं, तुझे देने पडेंगे। हमारे खेत का नोड्यूज मुलजिम ने ही प्राप्त किया था।

"Authenticated Document"

उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया है कि पटवारी से जमाबंदी व नक्शे की नकलें एवं अन्य ट्रेक्टर खरीदने के बाबत् दस्तावेज लोन स्वीकृति बाबत् बलराम को दे दिए थे।

अब अभियोजन द्वारा इस संबंध में विवादित दस्तावेज लेटर क्रमांक 133 दिनांक 3.8.2006 हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुंदनपुर के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13 एवं विवादित दस्तावेज पत्र क्रमांक 244 दिनांक 3.8.2006 भारमुक्ति बैंक पक्ष में रहन भूमि को रहनमुक्त करने के संबंध में कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा सांगोद के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-19 प्रदर्शित करवायी गयी है जिन दस्तावेजों को मुताबिक अभियोजन कहानी अभियुक्त द्वारा कूटरचना कर तैयार करना बताया गया है। उक्त फर्द जब्ती दस्तावेज क्रमांक 133 दिनांकित 3.8.2006 हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुंदनपुर प्रदर्श पी-13 के संबंध में अभियोजन द्वारा गवाह देवीशंकर पी0 डब्ल्यू014 परीक्षित करवाया गया है जिसने अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि जो दस्तावेज जब्त किया गया था वह पत्रावली में नहीं है। यह मुझे याद नहीं है कि उस दस्तावेज में क्या लिखा था। यह सही है कि मैंने उक्त दस्तावेज को नहीं पढा इसलिए नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। प्रकरण में फर्द जब्ती विवादित दस्तावेज पत्र क्रमांक 244 दिनांक 3.8.2006 प्रदर्श पी-19 के संबंध में अभियोजन द्वारा गवाह रामकिशन पी0 डब्ल्यू022 परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि मूल जब्तशुदा दस्तावेज पत्रावली में शामिल नहीं है। गवाह सज्जन सिंह पी0 डब्ल्यू08 ने अपने बयानों में यह कथन किए हैं कि दिनांक 31.5.2006 से 28.8.2006 तक शाखा सांगोद में भूमि विकास बैंक के शाखा प्रबन्धक का अतिरिक्त चार्ज मेरे पास था। दिनांक 3.8.2006 को पत्र क्रमांक 244 जो नोड्यूज जारी होना प्रतीत होता है वह फर्जी था और बैंक से जारी नहीं हुआ था परन्तु ऐसा कोई नोड्यूज प्रमाण

"Authenticated Document"

पत्र प्रदर्शित नहीं करवाया है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किए हैं कि उसकी जानकारी में नहीं है कि उक्त नोड्यूज का उपयोग हुआ या नहीं हुआ। अब अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवादरहित दस्तावेजात पेशकर्ता सज्जन सिंह तत्कालीन शाखा प्रबंधक कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 प्रदर्शित करवाई है जो विवादरहित पत्र, कार्यालय आदेश, अवकाश आवेदन एवं निरस्त आवेदन पत्र बाबत है जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा गवाह सज्जन सिंह पी0 डब्ल्यू08 परीक्षित करवाया गया है जिसने अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन किए हैं कि प्रदर्श पी-3 से जो दस्तावेज जब्त किए थे वह आज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसी संबंध में गवाह गिरिराज प्रसाद पी0 डब्ल्यू016 परीक्षित करवाया गया है जिसने इस तथ्य को सही बताया है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मैंने नहीं पढा था कि उसमें क्या लिखा है और आज भी नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। गवाह श्रवणलाल पी0 डब्ल्यू017 द्वारा भी अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने नहीं पढा, न ही पुलिस ने मुझे इसे पढकर सुनाया कि इसमें क्या लिखा है। अभियोजन द्वारा विवादरहित दस्तावेज गजानन्द मीणा तत्कालीन शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुंदनपुर के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-14 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई है जिसके संबंध में गवाह देवीशंकर पी0 डब्ल्यू014 ने यह कथन किए हैं कि विज्ञान नगर की थाने की पुलिस ने इस बैंक के मैनेजर गजानन्द जी द्वारा जारी एक लेटर जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी-14 जब्त करवाया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर है परन्तु अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि जो दस्तावेज जब्त करवाया था वह आज पत्रावली में नहीं है व उक्त दस्तावेज को मैंने नहीं पढा इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-14 के संबंध में परीक्षित दूसरा गवाह सियाराम पी0 डब्ल्यू018 द्वारा भी अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि

"Authenticated Document"

फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने नहीं पढा, न ही पुलिस ने मुझे पढकर सुनाया कि इसमें क्या लिखा है। अब इसी अनुसरण में अभियोजन द्वारा विवादरहित दस्तावेज एक डायरी सन 2006 मुलजिम बलराम की, के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-17 प्रदर्शित करवाई गई है जो डायरी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है व जिसके संबंध में गवाह विशाल पी0 डब्ल्यू020 परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में यह कथन किए हैं कि डायरी में क्या लिखा है मैंने नहीं पढा व इसमें क्या इबारत लिखी है, मुझे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा विवादरहित दस्तावेज गजानन्द मीणा तत्कालीन बैंक मैनेजर हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कुंदनपुर के संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-18 प्रदर्शित कराई गई है जिसके संबंध में गवाह हेमराज पी0 डब्ल्यू021 ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह सही है कि मेरे समक्ष जब्त किया गया उक्त दस्तावेज आज पत्रावली में नहीं है, न ही जब्ती से पूर्व उक्त जब्तशुदा दस्तावेज एस.आई. साहब द्वारा मुझे दिखाया गया है। प्रकरण में गवाह बालमुकुन्द शर्मा पी0 डब्ल्यू08 तत्कालीन पटवारी अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने बयानों में यह कथन किए हैं कि 2006 में हाडौती एवं भूमि विकास बैंक के लेटरपेड पर जिनमें मैनेजर के हस्ताक्षरयुक्त नोड्यूज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हो रहे थे, जिसमें इंतकाल खोले जाने बाबत् आदेश थे, जिस पर मेरे द्वारा आदेशानुसार भूमि रहनमुक्त करने हेतु तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा के आदेश प्राप्त हुए परन्तु बाद में मेघराज से मालूम हुआ कि हाडौती बैंक एवं भूमि विकास बैंक में लोन जमा नहीं हुआ है जिस पर उक्त बैंक के मैनेजर द्वारा तहसीलदार के नाम पत्र लिखा गया व तहसीलदार द्वारा मुझे बुलाकर इंतकाल पर रहनमुक्त हटाने की रोक लगा दी गई जो भूमि की जमाबंदी प्रदर्श पी-4 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है एवं सी से डी भाग में इंतकाल व रहन संबंधी कार्यवाही के नोट डले हुए हैं परन्तु अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन किए हैं कि उक्त नोड्यूज सर्टिफिकेट न्यायालय की पत्रावली में शामिल

"Authenticated Document"

नहीं है। इसी संबंध में गवाह छोटूलाल वर्मा पी0 डब्ल्यू012 तत्कालीन तहसीलदार परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने बयानों में यह कथन किए हैं कि नोड्यूज सर्टिफिकेट के आधार पर पूर्व तहसीलदार ओमप्रकाश शर्मा ने रहनमुक्ति का इंतकाल तस्दीक किया था परन्तु बैंक से सूचना मिली कि खातेदार नाथूलाल के लडके द्वारा ऋण नहीं चुकाया गया है जिसका पत्र बैंक से प्राप्त हुआ था परन्तु अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि नोड्यूज सर्टिफिकेट पत्रावली में नहीं है व उक्त नोड्यूज सर्टिफिकेट कौनसी तारीख को जारी किया, यह भी मेरी जानकारी में नहीं है। यह तथ्य भी सही है कि पत्रावली में मेरा हस्ताक्षरशुदा कोई पत्र नहीं है, न ही बैंक से प्राप्त सूचना बाबत् पत्र पत्रावली में है। गवाह महिपाल सिंह पी0 डब्ल्यू013 तत्कालीन सहायक सचिव भूमि विकास बैंक अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है जिसने भी यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि पुलिस द्वारा डिफाल्टर ऋण नाथूलाल की पत्रावली एवं खाते की जानकारी चाही गयी थी व नाथूलाल को बैंक से कोई नोड्यूज जारी नहीं हुआ था परन्तु अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि जो दस्तावेज मैंने पुलिस को उपलब्ध करवाया था वह दस्तावेज पत्रावली में नहीं है व न ही उक्त नोड्यूज प्रमाण पत्र व भारमुक्ति प्रमाण पत्र इस पत्रावली में है व मैंने स्वयं ने बलराम को फर्जी नोड्यूज बनाते हुए नहीं देखा था। अतः इस प्रकार पत्रावली पर परीक्षित उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में जब्तशुदा विवादग्रस्त दस्तावेजात जो जरिए प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-19 जब्त किए गए व विवादरहित दस्तावेज जो जरिए प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-14, प्रदर्श पी-17 एवं प्रदर्श पी-18 जब्त किए गए, वह न ही पत्रावली में प्रस्तुत है, न ही उक्त दस्तावेज में अंकित/आलेखित तथ्य गवाहान की जानकारी में है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त एवं विवादरहित दस्तावेज ही नहीं है। साथ ही प्रकरण में उक्त दस्तावेजों के संबंध में जब्ती अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी अभियोजन

"Authenticated Document"

द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त समस्त फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13, प्रदर्श पी-19, प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-14, प्रदर्श पी-17, प्रदर्श पी-18 में बाद जब्ती दस्तावेज उक्त दस्तावेजात को सीलचिट किए जाने का कोई अंकन उक्त फर्द जब्ती के अवलोकन से प्रकट नहीं आता, न ही उक्त फर्द जब्ती में कोई नमूनासील अंकित है। अभियोजन द्वारा इस संदर्भ में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 प्रदर्शित करवाई गई है जिसमें विवादित दस्तावेज Q1 से Q4, Q3/1, Q4/1 व विवादित सील X1, X2 एवं नमूना लिखत बलराम यादव A1 से A27, स्वीकृत लिखत बलराम यादव A28 से A35, नमूना हस्ताक्षर गजानन्द मीणा B1 से B9 व स्वीकृत हस्ताक्षर गजानन्द मीणा B10 से B11, नमूना हस्ताक्षर सज्जन सिंह C1 से C9 व स्वीकृत हस्ताक्षर सज्जन सिंह C10 से C12, नमूनासील Y1 से Y27 एवं Z1 से Z27 वास्ते परीक्षण प्राप्त होने का अंकन है परन्तु ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में बाद जब्ती उक्त दस्तावेज को मालखाने में रखे जाने एवं मालखाना रजिस्टर में उक्त दस्तावेज का इन्द्राज करने बाबत् न ही मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया है, न ही मालखाना इन्चार्ज इस संबंध में परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में थाने से विवादग्रस्त, विवादरहित एवं नमूना लिखत, सील एवं हस्ताक्षर एफएसएल में जमा करवाने बाबत् कोई अग्रेषण पत्र व प्राप्ति रसीद अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। अनुसंधान अधिकारी जिसके द्वारा प्रकरण में नमूना हस्ताक्षर, नमूना लिखत एवं नमूनासील ली गई, न ही अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाया गया है, न ही ऐसे कोई नमूना हस्ताक्षर लिखत व सील पत्रावली में प्रस्तुत है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा अनुसंधान अधिकारी के तौर पर गवाह कैलाश चंद पी0 डब्ल्यू0 23 परीक्षित करवाया गया है जो हस्तगत प्रकरण में आंशिक अनुसंधान करते हुए प्रदर्श पी-15 के तहत दस्तावेजों को जब्त करने की साक्ष्य देता है जो पुराने ट्रेक्टर के दस्तावेज है व जिसके संबंध में गवाह सज्जन सिंह पी0 डब्ल्यू08 ने यह स्पष्ट

"Authenticated Document"

कथन किए हैं कि प्रदर्श पी-15 में जब्तशुदा दस्तावेजों से अभियुक्त बलराम के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। गवाह संजीव स्वामी पी0 डब्ल्यू024 हस्तगत प्रकरण के संबंध में थाना सांगोद में एफआईआर सं0 50/2008 दर्ज करने की व तत्पश्चात् तफ्तीश लखनलाल एसआई को सुपुर्द करने की साक्ष्य देता है। गवाह बृजेश कुमार मीणा पी0 डब्ल्यू025 मात्र कुछ गवाहान के धारा 161 दं0 प्र0 सं0 के बयान लेखबद्ध करने एवं गवाह लखन लाल पी0 डब्ल्यू026 मात्र एक गवाह फरियादी मेघराज के बयान लेखबद्ध करने बाबत् साक्ष्य देता है। अतः इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये उपरोक्त अनुसंधान अधिकारी पी0 डब्ल्यू023 लगायत पी0 डब्ल्यू0 26 मात्र प्रारूपिक अनुसंधान के संबंध में साक्ष्य देते हैं परन्तु प्रकरण में मुख्य अनुसंधान अधिकारी जिसके द्वार किस आधार पर व किस प्रकार से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना गया व जिसके द्वारा विवारहित, विवादग्रस्त दस्तावेजात की जब्ती की गई एवं नमूना लिखत, हस्ताक्षर व सील लिए जाकर एफएसएल हेतु भेजे गए व तत्पश्चात बाद प्राप्ति एफएसएल से शामिल पत्रावली किए गए, को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः इस प्रकार पत्रावली पर न ही तथाकथित विवादित कूटरचित दस्तावेज है न ही विवादरहित व नमूना दस्तावेज है, न ही एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 में अंकितानुसार disputed, Admitted व specimen writings, seals and signatures बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत है जिससे न्यायालय के समक्ष कूटरचना का तथ्य ही प्रमाणित होना प्रकट नहीं आया है न ही उक्त कूटरचित दस्तावेज छल के आशय से असली के रूप में उपयोग में लाए गए, यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष साबित होना प्रकट नहीं आता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित् प्रकट होता है।

"Authenticated Document"

<u>आदेश</u>

अतः **अभियुक्त बलराम पुत्र देवकरण, निवासी औंकारपुरा, थाना सदर बूंदी जिला बून्दी (राज0)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 467, 468, 471 भा.दं.सं.** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **420, 406** भा0दं0सं0 के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में हाजिरी बाबत धारा 437ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत 6 माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपए का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाए।

(शुभ्रा शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद, जिला कोटा (राज0)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(शुभ्रा शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद, जिला कोटा (राज0)

TRILOK CHAND MANTRI
Steno III "Authenticate document"
Digitally signed by TRILOK CHAND MANTRI
Date: 2026.04.28 13:23:34 +0530

"Authenticated Document"